

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावरण मंत्री, संकटर-19, नवा रायपुर अंडल नगर, जिला-रायपुर (छग.)

ई-मेल : seiaacg@gmail.com

विषय:- राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 01/06/2020 को संपन्न 326वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 326वीं बैठक दिनांक 01/06/2020 को श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति को अध्यक्षता में राखा हुआ। बैठक में समिति के गिम्नालिंगित सदस्यों ने मान लिया-

- 1 डॉ. मोहन लाल अय्याल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
- 2 श्री अरविंद कुमार गोरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
- 3 श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
- 4 डॉ. एम.लल्लुवाय, खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
- 5 श्री चिकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
- 6 श्री दीपक सिंहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
- 7 श्री गोराकर विलास संदिपान, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

श्री धीरेन्द्र शर्मा द्वारा विलियो कान्फोरिंग के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता की गई। समिति द्वारा एजेंडा में समिलित विषयों पर गिम्नालिंगित विचार किया गया।

एजेंडा आयटम क्रमांक-1: 325वीं बैठक दिनांक 29/05/2020 बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 325वीं बैठक दिनांक 29/05/2020 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त रिपोर्ट से समिति सहमत हुई।

**एजेन्डा आयटम क्रमांक-2: औद्योगिक परियोजना एवं गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों
के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति /
टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।**

- मेसर्स मधूरा सरिया प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-भिटीकला, तहसील-अम्बिकापुर,
ज़िला-सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1205)
ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नंबर - एसआईए/ शीजी/ आईएनडी/ 51501/
2020, दिनांक 24/02/2020।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत
ग्राम भिटीकला, तहसील अम्बिकापुर ज़िला-सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 63/4
में सोलिंग मिल क्षमता - 25,500 टन प्रतिवर्ष से 57,000 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय
स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टीओआर हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित
परियोजना हेतु इकाई की कुल विनियोग रूपये 3.6 करोड़ है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 317वीं बैठक दिनांक 29/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उत्तम
सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

- वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीरामढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी
सम्मति राहीं के पालनार्थ की कायेवाही की चिन्हवाल जानकारी प्रस्तुत की जाये।
- मूगि स्वामित्व / मूगि आवर्ण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाये।
- वर्तमान सोलिंग मिल में शी-हीटिंग फॉर्म की स्थापना किया गया है अथवा नहीं?
क्षमता विस्तार के तहत सोलिंग मिल में शी-हीटिंग फॉर्म की स्थापना किया
जाना प्रस्तावित है अथवा नहीं? शी-हीटिंग फॉर्म स्थापित है तो शी-हीटिंग
फॉर्म की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर
विमनी की ऊँचाई मण्डना एवं वर्तमान में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी।
क्षमता विस्तार के तहत सोलिंग मिल में यदि शी-हीटिंग फॉर्म की स्थापना किया
जाना प्रस्तावित है तो शी-हीटिंग फॉर्म की संख्या, क्षमता, ईंधन का प्रकार एवं
मात्रा, प्रयुक्त ईंधन के आधार पर विमनी की ऊँचाई मण्डना सहित जानकारी एवं
प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाये।
- सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत
उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की मण्डना कर (जल उपयोग की मात्रा,
दूषित जल की मात्रा / मृणवक्ता, प्रदूषकों के उत्तर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न
तोता अपरिशेषों की मात्रा) प्रस्तुत की जाये।
- सेंट्रल याउल वॉटर अथोरिटी द्वारा जारी गाइडलाइंग अनुसार परियोजना स्थल
सेग्मेंटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने वाले
जानकारी प्रस्तुत की जाये। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल याउल वॉटर
अथोरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाये।
- वर्तमान में स्थापित एवं क्षमता विस्तार के तहत प्रस्तावित गार्डन वाटर रियोज
व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्डिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईंज
सहित) प्रस्तुत की जाये।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अध्यात्म फोटोग्राफ़) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.री. छ.म. के ज्ञापन दिनांक 06/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 321वीं बैठक दिनांक 15/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिक्रिया उपरिख्यत नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पन्ने दिनांक 14/05/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि लॉक डाउन होने के कारण समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपरिख्यत होना समव नहीं है। अब आगामी माह की आयोजित बैठक में समय पदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में ताहीं गई बोधित जानकारी एवं समरत सुरक्षात जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.री. छत्तीरामढ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 01/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिक्रिया उपरिख्यत नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 01/06/2020 के माध्यम से सूचना दी गयी है कि कोविड 19 के लंगक्लाउन पांच सालों के कारण समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण की उपरिख्यत होना समव नहीं है। अब आगामी माह की आयोजित बैठक में समय पदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में ताहीं गई बोधित जानकारी एवं समरत सुरक्षात जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स टिरुपति बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड (कपाट बहरी आडिनरी स्टोन टेम्पररी परमिट क्वारी माईन), ग्राम-कपाट बहरी, तहसील-बतौली, जिला-सखुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1210)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर एसआईए / सीजी / एमआईएन / 145949 / 2020 दिनांक 27/02/2020।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित साधारण पत्रक (मौजूद लिखित) अनुग्रह ग्राम-कपाट बहरी, तहसील-बतौली, जिला-सखुजा रिप्लिक नं.सं.क्रमांक 1117 / 19.

कुल शेअरफल — 0.971 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्थनन कमाता — 78,243.98 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

सामोहि द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्ररतुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्त्वाभ्यास सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

- यदि पूर्व में आवेदित रूप्यल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान नियंत्रण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान नियंत्रण प्राधिकरण (जी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय रवीकृति दी गई ही, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय रवीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्योगाई की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्ररतुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की प्रत्याहन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्ररतुत की जाए।
- यदि खदान पूर्व से संवालित है, तो विमत वर्षों में किए गए उत्थनन की वार्तात्तिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्तित करा कर प्रस्तुत की जाए।
- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन बंधालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार नी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अध्यात्म फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी बाह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

निम्नानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 01/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु जी अकरम खान, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्थनन के संबंध में ग्राम पंचायत समारी का दिनांक 02/10/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्थनन योजना — गॉडिफाईड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनिजप्रशा.), जिला-सरयुजा के ज्ञापन क्रमांक 212/खनिज/खलि. 3/उत्थनन यो./2019-20 अधिकापुर, दिनांक 24/02/2020 द्वारा अनुमोदित है। क्वारी क्लोजर प्लान गाईनिंग प्लान के अंतर्गत है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय क्लेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरयुजा के ज्ञापन क्रमांक 213/खनिज/खलि.4/उ.अ.पु./2019-20 अधिकापुर, दिनांक 24/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के मीलर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए — कार्यालय क्लेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरयुजा के ज्ञापन क्रमांक 238/खनिज/खलि.4/उ.

अनु/2020 अभिकापुर, दिनांक 29/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त स्थान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसा गढ़िय, मस्जिद, मरम्बद, अस्पताल, नहर, रेल लाइंग, स्कूल, पुल, बांध, एंडीकट, स्कूल, भवन एवं जल आपृति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

5. एलओआई. का विवरण – एलओआई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शासी). जिला-सरायुजा के ज्ञापन क्रमांक 45/खनिज/खलि 4/अ.उ./2020 अभिकापुर, दिनांक 13/01/2020 द्वारा जारी की गई है।
6. भूमि स्वामित्व – भूमि श्री इन्द्र प्रसाद एवं श्री अशोक के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वार्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरायुजा वनमण्डल, अभिकापुर के ज्ञापन क्रमांक /तक.अधि./4696 अभिकापुर, दिनांक 03/12/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 2.5 कि.मी. दूर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी याम-कपाट वहरी 1 कि.मी. , स्कूल याम-मंगारी 0.64 कि.मी. एवं अस्पताल सीतापुर 9.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय साजगाम 0.53 कि.मी. एवं साजगाम 35 कि.मी. दूर है। गांव नदी 1.5 कि.मी. एवं तालाब 0.615 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावके द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अतराज्जीय सीमा, कंटीय पट्टाण मिथक्कण वंडे द्वासा भागित किटिकली पौल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या भागित जैवविविधता क्षेत्र नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व लंगगाम 138.853 टन, गाइनोवल रिवर्ज 88.709 टन एवं रिक्कहरेवल रिवर्ज 86.935 टन है। लीज क्षेत्र के बारों ओर 7.5 मीटर (0.293 हेक्टेयर) क्षेत्र छोड़ा जाएगा। औपन कास्ट सेमी मेकेनाईज़ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 3.051 घनमीटर एवं गोलाई 0.5 मीटर है। जिसे लीज क्षेत्र के बारों ओर 7.5 मीटर में उप कर वृक्षाशेषण किया जाएगा। वज्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं गोलाई 3 मीटर है। लाठान की समावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में कशर की स्थापना नहीं की जाएगी। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। नाँवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	78,244
द्वितीय	8,691

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को साउण्डऑफ किया गया है।

 2. जल आपृति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की स्थित 8.92 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपृति टैकर द्वारा याम पंचायत के मालियम से की जाएगी। इस

वायु प्रदूषण का अनापॉर्टेड प्रमाण पर प्रस्तुत किया गया है। खदान से वायु प्रदूषण नियन्त्रण हैं जिन का छिड़काव किया जाएगा।

13. वृक्षारोपण कार्य — लीज डेंच की रीमा में बारों और 7.5 मीटर की पट्टी में 586 नाम वृक्षारोपण किया जाएगा। पहुंच मार्ग पर 950 नाम पौधे लगाए जाएंगे। इस पकार कुल 1,536 नाम पौधे का रोपण किया जाएगा।
14. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
15. गान-नीय एनजीटी, प्रिसिपल बैच, नई दिल्ली द्वारा राखेंद्र पाण्डेय विशेष भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (आरिंगनल एंडिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—
 - Providing for EIA, EMP and therefore Public consultation for all areas from 5 to 25 ha falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided
 - If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance
16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — भारत सरकार पर्यावरण वा और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओएम, दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हैं तु समिति के समक्ष विस्तार से वर्तों उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
58.33	2%	1.17	Following activities at Govt Middle School Village-Kapat Bahari	
			Rain Water Harvesting System	1.23
			Plantation	0.10
			Total	1.33

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), गिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 213/खनिज/खलि.4/उ.अ.प.1/2019-20 अभिकापुर दिनांक 24/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निर्दित है। आवेदित खदान (गाम-कमाट कहरी) का रक्का 0.971 हेक्टेयर है। खदान की रीमा से 500 मीटर की परिधि में रक्षीकृत/सावालित खदानों का

कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान वी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विवार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम-कपाट नक्शे तहसील-बतौली, ज़िला-सरगुजा के खसरा क्रमांक 1117 / 19 में स्थित साधारण पत्थर (मीण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 0.971 हेक्टेयर, अधिकातम क्षमता - 78,243 टन प्रतिवर्ष 2 बर्ष हेतु परिशिष्ट-01 में वर्णित शर्तों के अन्तर्गत कार्यवर्णीय स्लीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

सभ्य स्तर पर्यावरण समाधान नियांरण प्राधिकरण (एस.इ.आई.ए.ए), छत्तीसगढ़ का तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स तिरुपति बिल्डकान प्राईवेट लिमिटेड (मंगारी आर्डिनरी स्टोन टेम्पररी परमिट रखारी मार्डिन), ग्राम-मंगारी, तहसील-बतौली, ज़िला-सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1211)

ऑनलाईन आवेदन- प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 145997/ 2020 दिनांक 27/02/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (मीण खनिज) खदान है। ग्राम-मंगारी, तहसील-बतौली, ज़िला-सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 846 / 2, 846 / 3 एवं 846 / 4, कुल क्षेत्रफल - 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आंतिम उत्तरांत क्षमता - 80,195.96 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्सम्बन्ध सर्वसम्मति से निमानुसार निर्णय लिया गया था:-

- यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु साध्य स्तर पर्यावरण समाधान नियांरण प्राधिकरण (एस.इ.आई.ए.ए), छत्तीसगढ़ अथवा ज़िला स्तरीय पर्यावरण समाधान नियांरण प्राधिकरण (डी.इ.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्लीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्लीकृति की प्रति एवं अधिसंप्रित शर्तों के पालन में की गई कार्यताही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही दृश्यांकण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
- यदि खदान पूर्व से संबंधित है तो विभाग की सहायता से वास्तविक मात्रा की जानकारी स्थानिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
- भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रत्यावर प्रस्तुत किया जाए।
- परियोजना प्रत्यावरक को उपरोक्त समर्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 01/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अक्षय खान, अधिकृत प्रतिभिति उपस्थित हुए। समिति द्वारा प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्थनन के संबंध में ग्राम पंचायत गारी का दिनांक 02/10/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्थनन योजना – गोडिकाईड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खण्डप्रशा.), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 211/खण्ड/खलि 3/उत्थनन यो./2019-20 अधिकापुर, दिनांक 24/02/2020 द्वारा अनुमोदित है। क्वारी क्लोजर प्लान, माइग्रिंग प्लान के अंतर्गत है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय क्लेक्टर (खण्ड शाखा), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 214/खण्ड/खलि.4/उ.अनु./2019-20 अधिकापुर, दिनांक 24/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के ग्रीटर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.234 हेक्टेयर है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय क्लेक्टर (खण्ड शाखा), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 239/खण्ड/खलि.4/उ.अनु./2020 अधिकापुर, दिनांक 29/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मर्टिजाद, ग्राम्घर, अस्पताल, नहर, रेल लाईन, रकूल, पुल, बांध, एनीकट, रकूल, मवन एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
5. एलओआई का विवरण – एलओआई कार्यालय क्लेक्टर (खण्ड शाखा), जिला-सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 44/खण्ड/खलि.4/अ.उ./2020 अधिकापुर, दिनांक 13/01/2020 द्वारा जारी की गई है।
6. भूमि स्वामित्व – खसरा क्रमांक 846/2 क्षेत्रफल 0.216 हेक्टेयर श्री बाबा, खसरा क्रमांक 846/3 क्षेत्रफल 0.216 हेक्टेयर श्री मिरघारी एवं खसरा क्रमांक 846/4 क्षेत्रफल 0.568 हेक्टेयर श्री जगमाहान के नाम पर है। उत्थनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. बन विमाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय बनमण्डलाधिकारी, रासगुजा बनमण्डल, अधिकापुर के ज्ञापन क्रमांक /तक.अधि./4698 अधिकापुर, दिनांक 03/12/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र का भूमि की सीमा से 2.5 कि.मी. दूर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम-सुवारपारा 0.4 कि.मी., रकूल ग्राम-सुवारपारा 0.86 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-बतौली 8.3 कि.मी., की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय साजमार्ग 0.68 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 39.15 कि.मी. दूर है। माण्ड नदी 1.3 कि.मी. एवं तालाब 1 कि.मी. दूर है।

10. पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावके द्वारा 10 किमी की परिधि में अतराज्जीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण चौहारा भागीदार क्रिटिकली पॉल्युएट एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या भागीदार जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबोधित किया गया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण — जियोलॉजिकल रिपोर्ट लगभग 1,43,000 टन. माइग्रेशन रिजर्व 93,277 टन एवं रिकवरेशन रिजर्व 88,613 टन है। लीज धोत्र के बारे ओर 7.5 मीटर (0.291 हेक्टेयर) क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट रोमी मेकेनाईच्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकातम महसूस 6 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 3,544 मनमीटर एवं मोटाई 0.5 मीटर है। जिसे लीज धोत्र के बारे ओर 7.5 मीटर में उपर कर वृक्षारोपण किया जाएगा। बैंब की ऊंचाई 3 मीटर एवं बीडाई 3 मीटर है। खदान की समावित आयु 2 वर्ष है। लीज धात्र में कशर की जाएगी। डिलिंग एवं कंट्रोल लासिटिंग किया जाएगा। बंसिवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	80,196
द्वितीय	8,418

नोट: तालिका में दृश्यगलत के बाद के अंकों को साउण्डओफ किया गया है।

12. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु आवश्यक जल की सुपत 6.07 मनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैकर हारा याम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बावजूद याम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। खदान में बायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
13. वृक्षारोपण कार्य — लीज धोत्र की सीमा में बारे ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 582 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
15. माननीय एनजीटी, प्रिसेपल बैंब, नई दिल्ली हारा स्कॉप यांगड़ेग विल्ड गार्ड रारकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली (पर्व ००५) (ओरिजिनल ऐडिक्शन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—
- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance

 कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओपरा दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) द्वारा समीक्षा के सम्बन्ध में विस्तार से वर्णीय प्रस्ताव निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
60.95	2%	1.22	Following activities at Govt Primary School Village-Suwarpara (Mangari)	
			Rain Water Harvesting System	0.80
			Potable Drinking Water Facility	0.25
			Running Water Facility for toilets	0.15
			Plantation	0.10
			Books Distribution related to Environment Conservation	0.05
			Total	1.35

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निमानुसार निर्णय लिया गया-

- t. कायांलय कलेक्टर (खणिज शाखा), ज़िला—सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 214/खणिज/खलि.4/उआई/2019-20 अभिकापुर, दिनांक 24/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.234 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम—मंगारी) का रक्वा 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम—मंगारी) को मिलाकर कुल रक्वा 2.234 हेक्टेयर है। खदान की रीगा से 500 मीटर की परिधि में रवीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम—मंगारी, तहसील—वलीली, ज़िला—सरगुजा के खसारा क्रमांक 846/2, 846/3 एवं 846/4 में स्थित साधारण पत्थर (मीण खणिज) खदान, कुल क्षेत्रफल — 1 हेक्टेयर, अधिकतम गमता — 80.195 टन प्रतिवर्ष 2 वर्ष हतु परिशिष्ट—02 में वर्णित शर्तों के अधीन पार्श्ववर्णीय रवीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य रस्ते पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को निमानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स कविता पारेख (बलदेवपुर लाईम स्टोन माईन), ग्राम—बलदेवपुर, तहसील—खैरागढ़, ज़िला—राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1015) ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ 43871/2019, दिनांक 10/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियां होने से ज्ञापन दिनांक 09/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने

हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नाहिं जानकारी दिए गए 02 / 03 / 2020 को औंगलीईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित हुआ पत्थर (गोण खनिज) खदान है। खदान गाम—बलदेवपुर, तहसील—खैरामढ, ज़िला—सजनगढ़गाँव रिहाय सरारा कमान 907 एवं 909 / 1, कुल दोबफल— 0.667 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन समता— 14,274.88 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18 / 05 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नरती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा सर्वसम्मान सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खदान हेतु राज्य सत्र पर्यावरण समाधान नियमित प्राधिकरण (एस.इ.आई.ए.ए), छत्तीसगढ़ अथवा ज़िला स्तरीय पर्यावरण समाधान नियमित प्राधिकरण (डी.इ.आई.ए.ए), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय रीक्षित दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित जांच के जानकारी में की गई कार्यवाही की जानकारी फॉटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन रिक्षित की जानकारी फॉटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. पिंगल वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक गांव की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, रक्तुल, आदि प्रतिवर्गित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने वाले जानकारी की स्पष्ट / पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवरिक्षित समस्त खदानों संबंधी जानकारी की स्पष्ट / पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने डिली ओएम दिनांक 01 / 05 / 2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (फॉटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.इ.ए.री., छत्तीसगढ़ के जापन दिनांक 23 / 05 / 2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 01 / 06 / 2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपरिक्षित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के इन दिनांक 01 / 06 / 2020 द्वारा सुनाया दी गयी है कि आपरिहार्य कारणों से सांगिते के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपरिक्षित होना समव नहीं है। वह आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

~~समिति~~ द्वारा विचार विमर्श उपरात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में वाहो गई नाहिं जानकारी

एवं समरत सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु
निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेरसर्स श्री मोहन लाल चकधारी (हरदी सोईल/ऑडिनरी क्ले क्वारी), ग्राम-हरदी,
तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 975)
ऑनलाइन आवेदन — प्रपाजल नम्रत — एसआईए/ शीजी/ एमआईएन/
43961/2019, दिनांक 16/10/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन
आवेदन में कमियों द्वारा से ज्ञापन दिनांक 11/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने
में हु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बाहित जानकारी दिनांक
02/03/2020 की ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संबलित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है।
खदान ग्राम-हरदी, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित पाटे ऑफ खसरा क्रमांक
414, कुल दौत्रफल 0.971 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (गौण
खनिज) क्षमता—1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उत्तमय
सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

- पाम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की
स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
- गृनि रायगिरि साक्षी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
- यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य रत्न पर्यावरण समाधान निधारण
प्राधिकरण (एसआईआईएए), छत्तीसगढ़ अथवा जिला रत्नीय पर्यावरण समाधान
निर्वारण प्राधिकरण (बीईआईएए), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय रवीकृति नी गई
हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय रवीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन
में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही
वृद्धारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
- यदि खदान पूर्व से संबलित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की
वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विमाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की
जाए।
- मान्त्र राजकार पर्यावरण, वन और जलवाय परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के
ओएम दिनांक 01/05/2018 के अनुसार शीईआर (Corporate Environment
Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अधितन
फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने
हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक
23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 01/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भाऊ राम चक्रधारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपरिख्यत हुए। समिति द्वारा नरती, प्रत्यक्ष जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति माई गई—

1. नगर पालिक निगम का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में नगर पालिक निगम राजनांदगांव का दिनांक 01/05/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना — माईनिंग प्लान (क्वारी कम इन्डस्ट्रीजल मेनेजमेंट लाइन) प्रस्तुत किया गया है, जो उप समालक (एन्डिप्रॉ), जिला-रायपुर के डाफन क्रमांक/क/ख.लि/तीन-6/2016/752 रायपुर, दिनांक 29/03/2016 हुआ अनुमानित है। क्वारी क्लोजर प्लान, माईनिंग प्लान के अन्तर्गत है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय क्लर्कर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के डाफन क्रमांक/2757/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 26/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि 6 खदानों, क्षेत्रफल 14.099 हेक्टेयर है। प्रस्तुतीकरण के द्वारा यह तथ्य संझान में आया कि कार्यालय क्लर्कर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानों क्षेत्रफल 14.099 हेक्टेयर का उल्लेख किया गया है, जबकि इस क्षेत्र में 6 खदानों से अधिक खदाने विद्यमान हैं। उक्त या यह स्पष्ट है कि हुआई-ए नॉटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिमापित क्लर्कर की मण्डा किये जाने हेतु क्लर्कर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव द्वारा जारी प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि जारी प्रमाण पत्र में केवल विद्यारप्तीन खदानों के लीज सीमा से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। हुआई-ए नॉटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिमापित क्लर्कर अनुसार “कोई क्लर्कर यस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसर से 500 मीटर से 500 मीटर के भीतर आने वाले रामी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य रामी खदानों को (क्लर्कर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः हुआई-ए नॉटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिमापित क्लर्कर की मण्डा किये जाने हेतु उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्राप्त कर, तदनुसार हुआई-ए अवध्ययन किया जाए।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय क्लर्कर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के डाफन क्रमांक/2757/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 26/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र या मधिर मर्टिल, मर्टिल, मर्टिल, सरपाल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिवधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. लीज का विवरण — मूगि एवं लीज श्री मोहन लाल चक्रधारी के नाम पर हैं। लीज छीठ 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 14/01/2010 से 13/01/2015 तक की

अवधि हेतु थी। तथ्यरकात् लीज ईड दिनांक 14/01/2015 से 13/01/2040 तक की अवधि हेतु वृक्षों की गई है।

6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई पिल्ली की अधिसूचना दिनांक 15/01/2016 द्वारा विहित प्रारम्भ में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल राजनांदगांव, ज़िला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.पि. /नंक 10-1/2020/1950 राजनांदगांव, दिनांक 24/02/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 17.4 किमी की दूरी पर है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम-हरदी 1 किमी एवं अस्पताल ग्राम-हरदी 1 किमी, दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 किमी, एवं राजमार्ग 15 किमी दूर है। शिवाय नदी 0.92 किमी, दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की परिधि में अतारेजीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण घोर्ह द्वारा धोपित प्रिक्टिकली पॉल्युरेट एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या धोपित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – पियोलोगिकल रिजर्व लगभग 29,130 टन, माइनरेल रिजर्व 17,478 टन एवं रिकल्चरेल रिजर्व 16,719 टन है। लीज क्षेत्र के बारे ओर 1 गीटर (398 वर्गमीटर) क्षेत्र होता है। ओपन कार्स्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। इट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संमावित आयु 12 वर्ष है। वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम	500	2	1,000	1,500
द्वितीय	500	2	1,000	1,500
तृतीय	500	2	1,000	1,500
चतुर्थ	500	2	1,000	1,500
पंचम	500	2	1,000	1,500

आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
छठवे	500	2	1,000	1,500
सातवे	500	2	1,000	1,500
आठवे	500	2	1,000	1,500

नीचे	500	2	1,000	1,500
दरावे	500	2	1,000	1,500

11. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति बंद खदान के गढ़दे एवं पेयजल हेतु याम पर्यायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत राहगति ली जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।
12. वृक्षारोपण कार्य – लीज लेव की सीमा में वारी ओर 1 मीटर की मिट्टी में 200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। बर्तमान में 100 नग वृक्षारोपण किया गया है। खदान से नदी की दूरी 90 मीटर है। अतः खदान से नदी की दूरी 100 मीटर किये जाने के लिए नदी की तरफ खदान की सीमा से 10 मीटर के दोनों ओर में खनन नहीं किया जाएगा तथा इसमें वृक्षारोपण किया जाएगा।
13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा चर्चाया गया कि उक्त खदान से केवल मिट्टी उत्खनन एवं इंट निर्माण हेतु लीज दोब्र से लगी हुई रखण के अंतर्गत उत्खनन पट्टे में अवरिक्षण विमनी भट्टे का उपयोग किया जाएगा।
14. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-
- पूर्व में मिट्टी खदान खसासा क्रमांक पाठ्ट औंफ लासरा क्रमांक 414 कुल शब्दफल = 0.971 हेक्टेयर है। कमता = 1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समावात निर्धारण प्राप्तिकरण जिला-राजनांदगांव द्वारा दिनांक 12/10/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।
 - पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कानूनीती की जानकारी प्रत्युत की गई है।
 - निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
 - कांगोलय क्लेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के जापन क्रमांक /587/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 07/03/2020 द्वारा निम्न वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	इंट (नग)	कच्चा माल (मिट्टी +50 प्रतिशत फ्लाई ऐश) (घनमीटर)	उत्पादन (उपयोग की गई मिट्टी) (घनमीटर)
2009–2010	निरंक	निरंक	निरंक
2010–2011	5,67,700	1135.4	567.7
2011–2012	4,39,300	878.6	439.3
2012–2013	4,96,100	992.2	496.1
2013–2014	5,48,500	1097	548.5
2014–2015	240200	480.4	240.2
2015–2018	निरंक	निरंक	निरंक
2018–2019	3,00,000	600	300
2019–2020	3,00,000	600	300

इस प्रकार खदान से कुल 2,892 घनमीटर मिट्टी का उत्थान किया गया है।

15. मान-प्रीम एन जी टी प्रिंसिपल वेच नई डिल्टी द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय निस्कद गार्ड रास्कार पर्यावरण का और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई डिल्टी एवं अन्य (आरिजन-नल एंड-लैंकेशन नं 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA, as well as for cluster situation where ever it is not provided
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- कांगीला कलेक्टर (खनि शाखा), जिला—राजनाडगांव के जापन कामांक / 2757 / लालि. 03/2019 राजनाडगांव, दिनांक 26/10/2019 के अनुसार आवंटित खदान से 500 ग्रीटर के ग्रीटर अवरिधत 6 खदानों, शेत्रफल 14.099 हेक्टेयर है। आवंटित खदान (ग्राम—हरदी) का रक्षा 0.971 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवंटित खदान (ग्राम—हरदी) को मिलाकर कुल रक्षा 15.07 हेक्टेयर है। खदान की ओमा से 500 ग्रीटर की परियों में रक्षीकृत/संवर्तित खदानों का कुल शेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का बलरदर निर्णीत होने के कारण यह खदान 'वी' श्रेणी की मानी गयी।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'वी' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण का और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रृष्ट, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड ल्यस ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई-आई-ए / ई-एम-पी, रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायर्मेंट क्लीयरेंस अपडेट कूआई-ए, नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीआआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हैं तथा अंतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये गए की अनुशंसा की गई—
 - Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
 - Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.
 - Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

लाल्य स्तर पर्यावरण समाधान निधारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को अनुसार रखिया किया जाए।

6. मेसर्स श्री प्रवीण कुमार चक्रधारी (हरदी सोईल/ऑडिनरी क्ले माईन), ग्राम—हरदी, तहसील व जिला—राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 976)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्रत — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43959 / 2019, दिनांक 16 / 10 / 2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियों होने से ज्ञापन दिनांक 11 / 11 / 2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बाहित जानकारी दिनांक 02 / 03 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गोण खगिज) खदान है। खदान ग्राम—हरदी, तहसील व जिला—राजनांदगांव स्थित खसरा कमांक 422, कुल देवताफल—2,023 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (गोण खगिज) दमता—1,200 धनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण —

- (अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18 / 05 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नरती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा लेसम्पास दर्दसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

- यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खदान हेतु साथ स्तर पर्यावरण समाचार विभाग प्राधिकरण (एसईआईएए), छत्तीसगढ़ अधिकारी जिला स्तरीय पर्यावरण समाचार निधारण प्राधिकरण (डीईआईएए), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधियोगित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अध्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
- यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विमत तर्फ़ में किए गए उत्खनन की वास्तविक गात्रा की जानकारी खगिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
- भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओपम दिनांक 01 / 05 / 2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पर्यावरणीय / दरवाज़ा (स्थानीय फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की अप्पोडिंग बैठक में प्रस्तुतीकरण दिय जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

निम्नानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23 / 05 / 2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

- (ब) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 01 / 06 / 2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भाऊ राम चक्रधारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपसचिव हुए। समिति द्वारा नरती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. नगर पालिक निगम का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में नगर पालिक निगम राजनांदगांव का दिनांक 01 / 05 / 2009 की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. उत्खनन योजना – माइग्रेंज प्लान (क्वारी कम इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप सचालक (खण्डप्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक / क./ख.लि./दी.नं.6/2016/755 रायपुर, दिनांक 29/03/2016 द्वारा अनुमोदित है। क्वारी क्लोजर प्लान, माइग्रेंज प्लान के अंतर्गत है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय क्लेक्टर (खण्डि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/275ए/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 26/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानों कोटफल 13.047 हेक्टेयर है। प्रस्तुतीकरण के बीच सह तथ्य सज्जान में आया कि कार्यालय क्लेक्टर (खण्डि शाखा), जिला-राजनांदगांव द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानों कोटफल 13.047 हेक्टेयर का उल्लेख किया गया है, जबकि इस क्षेत्र में 6 खदानों से अधिक खदान विद्यमान हैं। उक्त से स्पष्ट है कि इंआईए-नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिमापित क्लर्स्टर की मण्डा किये जाने हेतु क्लेक्टर (खण्डि शाखा), जिला-राजनांदगांव द्वारा जारी प्रमाण पत्र नुस्पूर्ण है, क्योंकि जारी प्रमाण पत्र में केवल विकाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। इंआईए-नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिमापित क्लर्स्टर अनुसार “काई क्लर्स्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूसी उस सदूस खण्डि द्वेष में अन्य पट्टों के परिसर से 500 मीटर से कम हो।” अर्थात् क्लर्स्टर हेतु हांगजिनियत मिनरल क्षेत्र में विकाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य रामी खदानों का (क्लर्स्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में काई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः इंआईए-नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिमापित क्लर्स्टर की मण्डा किये जाने हेतु उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्राप्त कर, तदनुसार इंआईए अव्ययन किया जाए।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय क्लेक्टर (खण्डि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/275ए/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 26/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरम्बद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबन्धित क्षेत्र मिहित नहीं हैं।
5. लीज का विवरण – मूँग एवं लीज श्री प्रवीण कुमार वक्तव्यारी के नाम पर है, जिसकी अवधि 30 वर्ष अर्थात् दिनांक 10/10/2005 से 09/10/2035 तक की अवधि हेतु मैं देख है।
6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 15/01/2016 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.वि./न.क्र. 10-1/2020/1948 राजनांदगांव, दिनांक 24/02/2020 से जारी अनापत्ति

प्रगाण पर अनुसार आवेदित क्षेत्र वर्ग मूलि की रीमा से 17.2 किमी की दूरी पर है।

8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम—हरदी 1 किमी एवं अरपताल ग्राम—हरदी 1.2 किमी, दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 किमी एवं राज्यमार्ग 1.2 किमी, दूर है। शिवगाथ नदी 0.095 किमी, दूर है।
9. पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वाया 10 किमी की परिधि में अंतर्राज्यीय रीमा, केन्द्रीय प्रदूषण गिरणवण वोड़ द्वारा भौमित क्रिटिकली पॉल्युरेट ऐरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या भौमित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 60,690 टन, माईनेक्सल रिजर्व 53,121 टन एवं रिक्वरेमेंट रिजर्व 42,110 टन है। लैंप क्षेत्र के बारे ओर 1 मीटर (590 घनमीटर) क्षेत्र होता है। ओपन कार्प मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। चिमारी की ऊंचाई 35 मीटर है। इन गिमारे हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाइ एश का उपयोग किया जाता है। खदान की समावित आयु 24 वर्ष है। वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है –

वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम	600	2	1,200	1,800
द्वितीय	600	2	1,200	1,800
तृतीय	600	2	1,200	1,800
चतुर्थ	600	2	1,200	1,800
पांचम	600	2	1,200	1,800

आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
छठवार	600	2	1,200	1,800
सातवार	600	2	1,200	1,800
आठवार	600	2	1,200	1,800
नौवार	600	2	1,200	1,800
दशवार	600	2	1,200	1,800

1. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिमिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिल्काव, वृक्षासोपण) हेतु जल की आपूर्ति बंद खदान के गढ़के एवं पेयजल हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत साहमित्री ली जाएगी। खदान में नागर प्रदूषण नियन्त्रण हेतु जल का छिल्काव किया जाता है।

12. वृक्षारोपण कार्य – लीज़ क्षेत्र की सीमा में बारों और 1 मीटर की पट्टी में 300 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 100 नग वृक्षारोपण किया गया है।

13. प्रतिबंधित क्षेत्र में उत्खनन – लीज़ की 1 मीटर चौड़ी सीमा (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) क्षेत्र में उत्खनन का कार्य किया गया है। परियोजना प्रत्यावर्तक द्वारा इस क्षेत्र में ओवरलैप्स से भराव कर रोपण का कार्य जनवरी, 2021 से पूर्व किया जाएगा। खदान से नदी की दूरी 95 मीटर है। अतः खदान से नदी की दूरी 100 मीटर किये जाने के लिए नदी की तरफ खदान की सीमा से 5 मीटर के क्षेत्र में खदान नहीं किया जाएगा तथा इसमें वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में मिट्टी खदान खरास क्रमांक 422, कुल धनकल — 2,023 हक्केयर है, धनमता — 1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय रवीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण रामायात निर्धारण प्राधिकरण, जिला—राजनांदगांव द्वारा दिनांक 06/09/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय रवीकृति के शर्तों के पालन में को मई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित शतानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला—राजनांदगांव के भाष्पन क्रमांक/587/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 07/03/2020 द्वारा तिगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	इंट (नग)	कच्चा माल (मिट्टी +50 प्रतिशत फ्लाई ऐश) (घनमीटर)	उत्पादन (उपयोग की गई मिट्टी) (घनमीटर)
2005–2006	1,47,300	294.6	147.3
2006–2007	35,600	712.4	356.2
2007–2008	2,95,100	590.2	295.1
2008–2009	4,07,500	815	407.5
2009–2010	1,76,900	353.8	176.9
2010–2011	निरंक	निरंक	निरंक
2011–2012	निरंक	निरंक	निरंक
2012–2013	1,75,000	350	175
2013–2014	3,65,500	731	365.5
2014–2015	3,95,000	790	395
अप्रैल 2015 – 31कटूबर 2015	3,20,000	640	320
नवम्बर 2015 – 31सिवंबर 2016	निरंक	निरंक	निरंक
जनवरी 2017 – मार्च 2017	4,10,000	820	410
2017–2018	8,30,000	1,660	830
2018–2019	5,50,000	1,100	550
2019–2020 (प्रियानवंबर 2019 तक)	3,00,000	600	300

इस प्रकार खदान से कुल 4,728.5 घनमीटर मिट्टी का उत्खनन किया गया है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कहा गया कि हुट नियंत्रण के लिए भट्टा स्थापित है। जिसका कुछ क्षेत्र लीज होते के अंतर्गत आता है तथा कुछ क्षेत्र लीज के बाहर आता है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल डेंच, नई दिल्ली द्वारा सलोंड पाल्हेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है।

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- कार्यालय क्लेक्टर (खाने शाखा), निला-सजनादगांव के द्वापन क्रमांक/275ए/ख.लि. 03/2019, राजनांदगांव, दिनांक 26/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के गीतर अवस्थित 6 खदानों का क्षेत्रफल 13.047 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (याम-हरदी) का रक्का 2.023 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (याम-हरदी) को मिलाकर कुल रक्का 15.07 हेक्टेयर है। खदान की रोमा से 500 मीटर की परिधि में रवीकर/संवालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लेक्टर निर्मित होने के कारण यह खदान नीं थेणी की गानी गयी।
- हुट नियंत्रण के लिए स्थापित भट्टा को लीज होते के अंदर अथवा बाहर की जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए एवं तदनुसार माईनिंग प्लान में सशोधन कराया जाए।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण चीज़ केटेगरी के होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) पर्स इंआईए/ईएम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायर्मेंट क्लीयरेंस बाण्डर इंआईए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित थेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीं कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स छेत्र में अधिरक्षा टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई।

- Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- Project Proponent shall submit proposal for transfer of brick kiln within or outside the mine lease area and accordingly mining plan shall be revised.
- Project Proponent shall submit layout map earmarking 1 meter of mine lease periphery & mined out area, calculation of mined out area and an action plan for restoration of boundary area and complete plantation in these area before January, 2021.

- iv Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
- v Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster
- vi Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

राज्य रत्तर पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को अनुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स श्री अजय सिंह (मोखली लाईम स्टोन माईन), ग्राम-मोखली, तहसील-डोगरगांव, जिला-राजनांदगांव (संचिवालय का नस्ती क्रमांक 1000)

ऑनलाइन आवेदन — प्रपातल नम्बर — एरा.आई.ए/ सीजी/ एमआईएन/ 44669/2019, दिनांक 05/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमियों होने से जापन दिनांक 30/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 03/03/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित दूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-मोखली, तहसील-डोगरगांव, जिला-राजनांदगांव स्थित खसान क्रमांक 113 एवं 434(पार्ट), कुल ईंट्रफल— 0.486 हेक्टेयर में है। खदान को आवंदित उत्खनन क्षमता—6,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नमी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उत्खनन सर्वराम्भिति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट/ पठनीय पत्रे प्रस्तुत किया जाए।
2. यदि पूर्व में आवंदित स्थल पर खनन हेतु साज्य रत्तर पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति नी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसेपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फॉटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन रिप्पति की जानकारी फॉटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक सांख्यिकीय जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. गारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम दिनांक 01/05/2018 के अनुसार री.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समर्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज़ (अद्यतन फोटोग्राफर) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिय जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

अनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 01/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रतीक राय, अधिकृत प्रतिनिधि उपरिख्यत हुए। समिति द्वारा नियोजित जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मोखली का दिनांक 06/05/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना — मार्झिनिंग प्लान (क्वारी कम इन्वेस्टिमेंट मैनेजमेंट प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप सभालक (खण्डप्रशासन), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 466/रीन-6/ख.लि/2016 रायपुर दिनांक 24/02/2016 द्वारा अनुमोदित है। क्वारी ब्लॉकर प्लान, मार्झिनिंग प्लान के अंतर्गत है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय क्लेक्टर (खण्ड शासन), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/107/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 10/01/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 0.846 हेक्टेयर है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय क्लेक्टर (खण्ड शासन), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/107/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 10/01/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त स्थान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरिजाद, गवाहाल, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. लीज का विवरण — भूमि एवं लीज श्री अजय सिंह के नाम पर है, लीज लीड 10 वर्ग अर्थात् दिनांक 17/09/2008 से 16/09/2013 तक की अवधि हेतु थी। तथ्यस्थान लीज लीड दिनांक 17/09/2013 से 16/09/2030 तक की अवधि हेतु वृद्धि की गई है।
6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा प्रिहित प्रभाग में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की पत्रि प्रस्तुत की गई है।
7. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय वनमान्डल अधिकारी राजनांदगांव वनमण्डल, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.वि./नं क्र. 10-1/2020/2086 राजनांदगांव, दिनांक 27/02/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 10 किमी की दूरी पर है।

 महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आवादी ग्राम—मोखली 0.5 किमी एवं अस्पताल ग्राम—मोखली 0.5 किमी, की दूरी पर स्थित है। साढ़ीय राजमार्ग 10 किमी, एवं सज्जमार्ग 8 किमी, दूर है। शिवनाथ नदी 0.6 किमी दूर है।

9. पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक हारा 10 मीटर की परिवर्ती में अत्यन्तजीय रीमा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हारा घोषित केंटिकली पालमुड़े पुरिया पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता शब्द स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. खनन संपदा एवं खनन का विवरण — जियोलोजिकल रिजर्व लगभग 97,200 टन, गाइनेवल रिजर्व 80,340 टन एवं रिक्वरेवल रिजर्व 70,506 टन है। लीज क्षेत्र के बारे आर 7.5 मीटर (2,340 वर्गमीटर) क्षेत्र होता है। ओपन कार्स्ट रोमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 1,500 एवं मोटाई 0.5 मीटर है। देव की ऊंचाई 3 मीटर एवं बीड़ाई 3 मीटर है। खदान की समावित आयु 12 वर्ष है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम	800	3	2,400	4,800
द्वितीय	900	3	2,700	5,400
तृतीय	1,000	3	3,000	6,000
चतुर्थ	1,000	3	3,000	6,000
पंचम	1,000	3	3,000	6,000

आगामी वर्ष का उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
छठा	1,000	3	3,000	6,000
सातवाहा	1,000	3	3,000	6,000
आठवाहा	1,000	3	3,000	6,000
नौवाहा	1,000	3	3,000	6,000
दसवाहा	1,000	3	3,000	6,000

11. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति बंद खदान के गढ़े एवं पेयजल हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बावजूद राहगति लिया जाएगा। खदान में बायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।
12. वृक्षारोपण कार्य — लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 600 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। बत्तीमान में 400 नग वृक्षारोपण किया गया है। इस प्रकार कुल 1,000 नग पौधों का संपरण किया जाएगा।

13. प्रतिबंधित क्षेत्र में उत्खनन — प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के कुछ भागों में लगभग 3.5 मीटर गहराई तक उत्खनन किया जा सकता है। अतः उत्खनित क्षेत्र को 6 माह के भीतर पुनर्मासव कर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। इस बाबत कमिट्टीमेट प्रस्तृत किया गया है।

14. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- पूर्व में चूना खदान सरारी क्रमांक 113 एवं 434 / 1, कुल क्षेत्रफल = 0.486 हेक्टेयर, क्षमता = 6,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण, जिला-संजनांदगांव दिनांक 06/09/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रत्यक्षता की गई है।
- निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खणि शाखा), जिला-संजनांदगांव के डाप्पन क्रमांक/467/ख.लि.03/2020 संजनांदगांव, दिनांक 18/02/2020 द्वारा विभिन्न वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्पादन (टन)	वर्ष	उत्पादन (टन)
17/09/2008 से 31/03/2009	निरंक	2014-2015	निरंक
2009-2010	374	2015-2016	निरंक
2010-2011	197	2016-2017	213
2011-2012	299	2017-2018	1,160
2012-2013	572	2018-2019	4,730
2013-2014	200	2019-2020 (अंतिम 2020)	2,865

15. माननीय एन.जी.टी., प्रिसिपल बैच, नई दिल्ली द्वारा संशोध पाण्डेय विस्तृत मासित रारकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (आरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को प्रारंभित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दीशत किया गया है—

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — मासित रारकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओएम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विरतार से चर्चा उपरात निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
Following activities at Govt Primary School Village-Mokhali				
20	2%	0.40	Solar Lighting system	0.30
			Plantation	0.10
			Total	0.40

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि स्थल निरीक्षण के उपरांत सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के जापन क्रमांक /107/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 10/01/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 गीटर के गैसर अवरिधि 1 खदान छापाल 0.846 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-गोखली) का रक्का 0.486 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-गोखली) को मिलाकर कुल रक्का 1.332 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 गीटर की परिधि में स्थीकृत संचालित खदानों का कुल ढोबफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-२ श्रेणी की मानी गयी।
2. खदान की सीमा (7.5 गीटर वौडी) में पूर्व से उल्खनित थ्रेड्र ओवरबर्डन से ग्रहकर वृक्षारोपण का कार्य प्राथमिता से 6 माह के पूर्व किया जाए। निर्धारित समयावधि में उक्त कार्य पूर्ण नहीं किए जाने की स्थिति पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, जिसमें पर्यावरणीय स्थीकृति नियस्तीकरण भी शामिल है।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम-गोखली, तहसील-झोगरमांव, जिला-राजनांदगांव के खदान क्रमांक 113 एवं 434(पाठी) में स्थित कुना पठार (गोण खनिज) खदान, कुल ढोबफल - 0.486 हेक्टेयर, छापाल - 6,000 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-03 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्थीकृति दिए जाने की अनुशासा की गई।

एवं लेटर पर्यावरण समाधान निधारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार संवित किया जाए।

8. मेसर्स श्रीमती रेखा सिंह (हरदी सोईल/ऑडिनरी कले माईन), ग्राम-हरदी, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1001)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 43731/2019, दिनांक 05/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियों होने से जापन दिनांक 30/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने

हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नामित जानकारी दिनांक 03/03/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संबालित मिट्टी उत्खनन (गीण खनिज) खदान है। खदान याम—हरधी, तहसील व ज़िला—राजनांदगाँव रियासत खसरा कमाक 530, 531, 532, 533 / 1, 2, 534 एवं 535(पाटी), कुल धोत्रफल—2,773 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (गीण खनिज) क्षमता—2,400 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नरती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा लक्षण्य सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. याम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक समिति) की स्पष्ट / पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य रत्तर पर्यावरण रामायति नियम-खण्ड प्राधिकरण (एस.इ.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा ज़िला राजीव पर्यावरण समायाति नियामन प्राधिकरण (डी.इ.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय रीतीकृति की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय रीतीकृति की पाते एवं विविरणित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। राज्य ही वृक्षारोपण की अद्यतन विधति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. यदि खदान पूर्व से संबालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.टु.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समर्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिय जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

अनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.इ.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 01/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रतीक राय, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नरती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधति पाई गई—

1. नगर पालिक निगम का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संचय में नगर पालिक निगम राजनांदगाँव का दिनांक 30/08/1997 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना — माईनिंग प्लान (कारी कम इन्वेस्टमेंट एलान) प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खण्डप्रशा), ज़िला-सम्पुर के ज्ञापन कमाक / क. / संलि. / तीन-6 / 2016 / 464 ज्ञापुर दिनांक 24/02/2016 द्वारा अनुमोदित है। कारी क्लोजर एलान, माईनिंग लान के अनुगत है।

3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), ज़िला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2801/ख.लि. 03/2019 दिनांक 07/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 8 खदानों क्षेत्रफल 14.94 हेक्टेयर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान यह सभी संघान में आया कि कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), ज़िला-राजनांदगांव द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 8 खदानों क्षेत्रफल 14.94 हेक्टेयर का उल्लेख किया गया है, जबकि इस क्षेत्र में 8 खदानों से अधिक खदानों विद्यमान हैं। उक्त से स्पष्ट है कि ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा राजाधित) में परिमापित क्लस्टर की गणना किये जाने हेतु क्लस्टर (खनि शाखा), ज़िला-राजनांदगांव द्वारा जारी प्रमाण पत्र नुटिपूर्ण है, अग्रीक जारी प्रमाण पत्र में केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) में परिमापित क्लस्टर अनुसार “कोई क्लस्टर उस समय कानून जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूसी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पहाड़ के परिसर से 500 मीटर से कम है।” अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस गिनारल दोनों में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को बहुत तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) में परिमापित क्लस्टर की गणना किया जाने हेतु अपराक्षानुसार प्रमाण पत्र प्राप्त कर तब अनुसार ई.आई.ए. अंदाजान किया जाए।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), ज़िला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2801/ख.लि. 03/2019 दिनांक 07/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, गर्तिजद, मरघट, अरपताल, रक्खुल, पुल, बांध, एंटीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिवधित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
5. लीज का विवरण – गूमि एवं लीज श्रीमती रेखा रिंग के नाम पर है, जिसकी अवधि 30 वर्ष अर्थात् दिनांक 20/11/1997 से 19/11/2027 तक की अवधि हेतु वैध है।
6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन गवालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय बनांडल अधिकारी, बनमण्डल राजनांदगांव, ज़िला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.वि./नंक. 10-1/2020/2084 राजनांदगांव, दिनांक 27/02/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन गूमि की सीमा से 17.4 किमी की दूरी पर है।

8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आवादी याम-हरदी 1.2 कि.मी. सफल एवं असफल याम-हरदी 1.2 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय लानगाम 5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 0.2 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युएड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
10. खनन संपदा एवं खनन का विवरण — जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 83,190 टन, माइग्रेशन रिजर्व 72,840 टन एवं रिकर्डरेवल रिजर्व 42,300 टन है। लीज क्षेत्र के बारे और 1 मीटर (0.087 हेक्टेयर) क्षेत्र होता है। ओपन कास्ट सेमो गेकेनाइज्ड विश्वि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकातम महसूई 2 मीटर है। ग्रिम्सी की ऊंचाई 35 मीटर है। हेतु ग्रिम्सी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाइ ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की समाप्ति आयु 12 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम	1,200	2	2,400	3,600
द्वितीय	1,200	2	2,400	3,600
तृतीय	1,200	2	2,400	3,600
चतुर्थ	1,200	2	2,400	3,600
पंचम	1,200	2	2,400	3,600

आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
छठवे	1,200	2	2,400	3,600
सातवे	1,200	2	2,400	3,600
आठवे	1,200	2	2,400	3,600
नौवे	1,200	2	2,400	3,600
दसवे	1,200	2	2,400	3,600

11. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु आवश्यक जल की यात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिलकाव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति बंद खदान के माहेके एवं प्रेयजल हेतु याम प्रवाहित के माध्यम से की जाएगी। इस बावजूद सहमति लिया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिलकाव किया जाता है।
12. वृक्षारोपण कार्य — लीज क्षेत्र की सीमा में बासी आवर 1 मीटर की पर्यामी में 400 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।

13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः—

- पूर्व में मिट्टी क्षेत्रों के सर्वों क्रमांक 530, 531, 532, 533 / 1,2, 534 तक 535(पार्ट), कुल क्षेत्रफल — 2,773 हेक्टेयर, क्षमता — 2,400 घनमीटर प्रतिलम्बि हेतु जिला रत्नगंगा पर्यावरण समाधान निधारण प्राधिकरण, जिला-सरजनादगांव दिनांक 06/09/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निधारित शर्तों-नुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- कार्यलय कर्लोकटर (खनि शाखा), जिला-सरजनादगांव के भाग में क्रमांक / 465 / दिनांक 03/03/2020 सरजनादगांव दिनांक 18/02/2020 द्वारा निम्न वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
1997–1998	766	2009–2010	1,473
1998–1999	1,693	2010–2011	1,130
1999–2000	1,710	2011–2012	1,270
2000–2001	1,398	2012–2013	1,330
2001–2002	1,270	2013–2014	1,210
2002–2003	1,770	2014–2015	1,340
2003–2004	1,841	2015–2016	1,886
2004–2005	1,260	2016–2017	1,536
2005–2006	1,146	2017–2018	1,534
2006–2007	1,072	2018–2019	1,342
2007–2008	1,024.2	2019–2020 (जनवरी 2020 तक)	970
2008–2009	1,097		

इस प्रकार खदान से कुल 32,214.2 घनमीटर मिट्टी का उत्खनन किया गया है।

- माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल वैन, नई दिल्ली द्वारा सर्वेंद्र पाण्डेय विस्तृत भारत सरकार, पर्यावरण, कन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एक्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में गुरुत्व रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

१. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के इमान क्रमांक /2801/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 07/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवधिक्षेत्र 08 खदानों क्षेत्रफल 14.94 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-हरदी) का रक्कड़ा 2.773 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-हरदी) को मिलाकर कुल रक्कड़ा 17.713 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का कलरस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की मानी गयी।

२. समिति द्वारा विचार विमाश उपर्युक्त सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी' के टेम्पो का हाँगे के कारण मास्त सरकार पर्यावरण, बन और जलवाया परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में घोषित स्टैंपलड दर्दों और रिफरेंस (टीओआर) कार्ड है।आईए/ईएमपी, रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिकायरिंग इन्वायर्मेंट कमीशनर अपडर है।आईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी १(ए) का स्टैंपलड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अधिकारी टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई—

- Project Proponent shall inform S.E.A.C Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan
- Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster
- Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates

राज्य स्तर पर्यावरण समाधान नियमित प्राधिकरण (एसईआईए/ए), छत्तीसगढ़ को अनुमुसार सुनित किया जाए।

९. मेसर्स श्रीमती मंजू अग्रवाल (देवीपुर आर्डिनरी स्टोन माईन), ग्राम-देवीपुर, तहसील व जिला-सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1235)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए /सीजी /एमआईए/ 147780 /2020, दिनांक 06 /03 /2020।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रकरण खदान के उत्खनन क्षमता के विरतारीकरण का है। यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गोण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-देवीपुर, तहसील व जिला-सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1529, कुल क्षेत्रफल—0.405 हेक्टेयर है। खदान की आविष्ट उत्खनन क्षमता — 3,283.8 टन परिवर्त्त है।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा सरामय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

१. यहाँ पूर्व में आवेदित स्थल पर खदान हेतु राज्य रत्तर पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा ज़िला खारीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय खीकृति की गई हो, जो पूर्व में जारी पर्यावरणीय खीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की वई कार्यकारी की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृद्धारोपण की अवधतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
२. यदि खदान पूर्व से संतालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वारताविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
३. मारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक ०१ / ०५ / २०१८ के अनुसार शी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
४. वीर्योजना प्रस्तावक को उपरोक्त समर्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (वीर्योजना फोटोग्राफस) के साथ आगामी माह की आयोगित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाने हेतु मिर्दशित किया जाए।

चान्दूली वीर्योजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.री., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक २३ / ०५ / २०२० द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की ३२६वीं बैठक दिनांक ०१ / ०६ / २०२०:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज कुमार जगत, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

१. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत देवीपुर का दिनांक ११ / १० / २००८ का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
२. उत्खनन योजना — क्वारी लान एवं क्वारी वलोजर प्लान विषय इवान्योग्ट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी (खनिज शाखा), ज़िला—सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक ३४३९ / खनिज / २०१६ सूरजपुर, दिनांक २२ / १२ / २०१६ द्वारा अनुमोदित है। क्वारी वलोजर प्लान, माइनिंग प्लान के अंतर्गत है।
३. ५०० मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला—सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक ३३५४ / खनिज / २०२० सूरजपुर, दिनांक ३० / ०१ / २०२० के अनुसार आवेदित खदान से ५०० मीटर की भीतर अवस्थित ३ खदाने, क्षेत्रफल ३.८६८ हेक्टेयर है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला—सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक ३३५४ / खनिज / २०२० सूरजपुर, दिनांक ३० / ०१ / २०२० के अनुसार आवेदित खदान से ५०० मीटर की भीतर अवस्थित ३ खदाने, क्षेत्रफल ३.८६८ हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल तिचाराधीन खदान के लीज सीमा से ५०० मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के ५०० मीटर के भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, २००६ (व्यापार शोधित) में परिमापित क्लर्क अनुसार “कोई क्लर्क उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूसी उस सदृश खनिज दोत्र

में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् कलस्टर हेतु होमोजिनियर्स निर्माण क्षेत्र में विचारणीय खदान के लीज शीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज शीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों की (कलस्टर में खदानों को बहाँ तक शामिल किया जाए, बहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र मंगाया जाना आवश्यक है।

4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कायांलय क्लेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के जापन क्षेत्र क्रमांक 3355/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 30/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त स्थान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसा भवित्व, मरिजाद, मरमत, अस्पताल, स्कूल, पुल, बाध, एनीकट ऐल लाईन, नहर एवं बल आपूर्ति आदि प्रतिवर्तित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. लीज का विवरण – मूगि एवं लीज शीमती मंजू अयवाल के नाम पर है, जिसकी अवधि 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 13/02/2009 से 12/02/2019 की अवधि तक थी। तत्पश्चात् लीज छीड़ में दिनांक 13/02/2019 से 12/02/2039 तक की अवधि हेतु वृद्धि की गई है।
6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कायांलय कामाडलाभिकारी, लीजों सार्वज्ञा वन्माला, अधिकारीपुर के जापन क्षेत्र क्रमांक 51/वनि/2009 अधिकारीपुर, दिनांक 06/01/2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी गाम-देवीपुर 0.63 कि.मी., स्कूल ग्राम-देवीपुर 2.4 कि.मी., अस्पताल ग्राम-सूरजपुर 2.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय सड़कमार्ग 3.35 कि.मी. एवं सड़कमार्ग 18.2 कि.मी. दूर है। रेहर नदी 5.45 कि.मी., नाला 1.4 कि.मी. एवं तालाब 0.37 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय शीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण योज्ञा द्वारा धारित क्रिटिकली पॉल्युट्रेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना परिवेदित किया है।
10. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलीजिकल रिजर्व लगभग 75,231 टन, गाइनेबल रिजर्व 31,712 टन एवं रिक्वरेबल रिजर्व 28,541 टन है। लीज क्षेत्र के बारे ओर 7.5 मीटर (0.168 हेक्टेयर) क्षेत्र स्थित है। ओपन कार्स शीमों मेंकानाड़ुळ विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहणाई 4.5 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 320 मानमीटर है। देव की कानाई 1.5 मीटर एवं बीड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की समाप्ति आयु 10 वर्ष है। जैक हेमर से डिलिंग एवं कन्ट्रोल ल्लारिटंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है –

वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष प्रथम बैच	177	1.5	265.5 + 320	
प्रथम वर्ष हिलीय बैच	139	1.5	208.5	2,064.4
हिलीय वर्ष प्रथम बैच	209	1.5	313.5	
हिलीय वर्ष हिलीय बैच	176	1.5	264	1501.5
तृतीय वर्ष प्रथम बैच	253	1.5	379.5	
तृतीय वर्ष हिलीय बैच	189	1.5	283.5	1723.8
चतुर्थ वर्ष प्रथम बैच	261	1.5	391.5	
चतुर्थ वर्ष हिलीय बैच	188	1.5	282	1751.1
पंचम वर्ष प्रथम बैच	260	1.5	390	
पंचम वर्ष हिलीय बैच	192	1.5	288	1762.8

आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छठवं वर्ष प्रथम बैच	299	1.5	224.25 + 149.5	
छठवं वर्ष त्रितीय बैच	239	1.5	358.5	19,03.85
सातवे वर्ष प्रथम बैच	345	1.5	258.75 + 172.5	
सातवे वर्ष हिलीय बैच	263	1.5	394.5	2146.95
आठवे वर्ष प्रथम बैच	359	1.5	538.5	
आठवे वर्ष त्रितीय बैच	251	1.5	376.5	2379
नौवे वर्ष प्रथम बैच	337	1.5	505.5	
नौवे वर्ष हिलीय बैच	274	1.5	411	2382.9
दसवे वर्ष प्रथम बैच	282	1.5	423	
दसवे वर्ष हिलीय बैच	214	1.5	321	3283.8
दसवे वर्ष त्रितीय बैच	346	1.5	519	

- जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.48 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति याम पवायत के माध्यम से किया जाता है। इस बावल याम पवायत का अनापौर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।
- वृक्षारोपण कार्य – लीज धोत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 416 नम वृक्षारोपण किया जाएगा। बर्तमान में 115 नम वृक्षारोपण किया गया है। शेष वृक्षारोपण मानसून के पूर्व किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रतिबंधित क्षेत्र में उत्खनन – प्रस्तुतीकरण के दोरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज की 7.5 मीटर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) धोत्र के 625 मीटर धोत्र में उत्खनन का कार्य किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनित क्षेत्र के 400 मीटर धोत्र में ओहर बड़न का भराव कर 60 नम वृक्षारोपण किया जाएगा। इस बावल शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में पश्चिम खदान खसरा क्रमांक 1529 कुल क्षेत्रफल - 0.405 हेक्टेयर, क्षमता - 1,047 घनमीटर (2,722.2 टन) प्रतिवार्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण, जिला-सूखजपुर दिनांक 13/02/2017 को जारी की गई है। यह स्थीकृति दिनांक 12/02/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यालयी की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शास्त्री), जिला-सूखजपुर के जापन दिनांक 15/05/2020 द्वारा विभिन्न वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

अवधि	उत्पादन (घनमीटर)
दिनांक 13/02/2009 से 31/12/2009	-
दिनांक 01/01/2010 से 31/12/2010	1,647
दिनांक 01/01/2011 से 31/12/2011	846
दिनांक 01/01/2012 से 31/12/2012	1,293
दिनांक 01/01/2013 से 31/12/2013	2,664
दिनांक 01/01/2014 से 31/12/2014	972
दिनांक 01/01/2015 से 31/12/2015	1,263
दिनांक 01/01/2016 से 31/12/2016	1,179
दिनांक 13/02/2017 से 31/12/2017	216
दिनांक 01/01/2018 से 31/12/2019	378
दिनांक 01/01/2019 से 31/12/2020	819
दिनांक 01/01/2020 से 12/02/2020	210

15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — मारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) द्वारा समिति के सम्बन्ध में चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
34.08	2%	0.69	Following activities at Govt Primary School Kawanpara Village-Devipur	
			Rain Water Harvesting System	0.62
			Running Water Arrangement	0.15
			Plantation	0.05

			Books Distribution related to Environment Conservation	0.05
			Total	0.87

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रकरण क्षमता विस्तार का है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन मंगाया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. गांडिंगम विभाग से बलरात्रि थोड़े में 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य लदानों की जानकारी पूर्व में दिये हुये विवरण अनुसार प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्देशित किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालनार्थ की मई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर द्वारा प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त रामरता पूर्ण जानकारी / वस्तावन प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर एवं परियोजना प्रस्तावक को उदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेरसर्स शांभवी इस्पात लिमिटेड, ग्राम—गेरवानी, तहसील व जिला—रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1167)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ आईएनटी/ 50927 / 2020, दिनांक 12 / 02 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियों होने से ज्ञापन दिनांक 22 / 02 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बांधित जानकारी दिनांक 07 / 03 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रकल्प क्षमता विस्तार का प्रकल्प है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम—गेरवानी, तहसील व जिला—रायगढ़ रिक्त खरास क्रमांक 31 / 1, 31 / 2, 32 / 1, 32 / 2 एवं 32 / 3, थोड़फल 8.223 हेक्टेयर में प्रस्तावित इण्डक्शन फॉर्स (8 गुणा 15 टन) (एम.एस. बिलेंट्स/ स्टील इंगांट्स) क्षमता — 3,96,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल (2 गुणा 500 टन प्रतिदिन) (एम.एस. बार्स/ रोड/ टी.एम.टी. बार्स/ वॉयर रोड/ एंगल/ वैनल एवं स्टील स्ट्रक्चर) के क्षमता विस्तार — 30,000 टन प्रतिवर्ष से 3,60,000 टन प्रतिवर्ष तथा न्यू कोल गैरीफॉयर (प्रोड्युसर गैस) क्षमता—19,800 सामान्य धनमीटर प्रतिघंटा के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना का विनियोग रूपए 40 करोड़ होगा।

बैठकों का विवरण —

- (अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18 / 05 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नर्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा सत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी समिति शर्तों के पालनाथ की कार्यवाही की विनियोग जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. सेंट्रल ग्राउंड वाटर अधीरिटी द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार परियोजना स्पैल रोगी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सफ जोन के अंतर्गत आने वाले जानकारी प्रस्तुत की जाये। ग्राउंड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अधीरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. वर्तमान में स्थापित एवं क्षमता विस्तार के तहत प्रस्तावित ग्राउंड वाटर रिवर्ज व्यवस्थाओं एवं ऐन वाटर हार्डिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं सार्केज राहित) प्रस्तुत की जाए।
4. वर्तमान में स्थापित एवं क्षमता विस्तार के तहत प्रस्तावित जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्थाओं की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. वर्तमान में किए गये वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण की फाटोग्राफ्स राहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयाजित मेट्रिक में समस्त सुरक्षा जानकारी / दस्तावेज राहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी_ छत्तीसगढ़ के भाष्य दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 01/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अमित अग्रवाल, पार्टनर एवं श्री श्यामलाल अग्रवाल उपस्थित हुए। समिति द्वारा नर्ती, प्रस्तुत जानकारी का अनलॉकन एवं परीक्षण करने पर निम्न रिपोर्ट पाइ गई—

1. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी —

- निकटसम आवादी याम-मेस्वानी 0.5 किमी, रेलवे स्टेशन किरोडीमल नगर 7.8 किमी की दूरी पर स्थित है। साढ़ीय संतामार्ग 0.3 किमी दूर है। कृष्णनगर 5 किमी की दूरी पर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किमी की परिधि में अलर्जीय सीमा, साढ़ीय उद्यान, अभयारण्य, कंदीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकल पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील थोक या घोषित जैवविविधता होने स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. भूमि स्वामित्व — भूमि रवागित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की गई है।

3. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट —

S.No.	Land use	Area (in Acre)
1	Induction Furnace Shed	2.03
2	Rolling Mill Shed	3.06
3	Storage Area	2.47
4	Internal Road	0.74
5	Green Belt	7.63

6	Water Reservoir	0.15
7	Parking	0.30
8	Mics. (i.e Admin, Substation etc)	0.25
9	Open Area	3.69
	Total	20.32

4. इकाईयों संबंधी जानकारी –

S. No.	Unit (Product)	CTE Obtained (under construc- tion)	Proposed Expansion		After Proposed Expansion
			Phase I	Phase II	
1.	Induction Furnace (MS billets / Steel Ingots)	-	1,98,000 TPA (4X15 T)	1,98,000 TPA (4X15 T)	3,96,000 TPA
2.	Rolling mill (TMT / wire rod / patra & other rerolled products)	30,000 TPA	1,65,000 TPA (1 x 500 TPD)	1,65,000 TPA (1 x 500 TPD)	3,60,000 TPA
3.	Coal gasifier	-	9,900 Nm ³ /Hr	9,900 Nm ³ /Hr	19,800 Nm ³ /Hr

5. रौप्य-मटेरियल –

Raw Material		Quantity (In TPA)	Mode of Transport
For Induction Furnace – 3,96,000 TPA			
Sponge Iron		3,30,000	By road (through covered trucks)
Scrap		1,41,000	By road (through covered trucks)
Ferro Alloys		5,900	By road (through covered trucks)
For Rolling Mill – 30,000 TPA To 3,60,000 TPA			
Steel Ingots / billets		3,53,100	-
Furnace oil		16,500	Tankers
For Coal gasifier			
Coal	Indian coal	65,000	By rail & road (through covered trucks)
	Imported coal	42,200	through Sea route & rail

6. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – इण्डिक्शन फॉर्म में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्युम एक्साइम्सन सिरटम के साथ बोग फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त इकाईयों से पार्टिकुलेट मेटर का उत्तरांगन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाएगा। स्थापना सम्मति प्राप्ति रोलिंग मिल में रक्कर स्थापित है। जिसमें पार्टिकुलेट मेटर का उत्तरांगन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु रक्कर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त रोलिंग मिल से पार्टिकुलेट मेटर का उत्तरांगन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा

जाएगा। प्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल लिडकाव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

7. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

S.No.	Waste / by product	Existing (Under Implement.) in TPD	Proposed Expansion In TPD	Method of Disposal
For Induction Furnace				
1.	Slag	-	120	Slag from SMS will be crushed and iron ore will be recovered & remaining non-magnetic material being insert by nature will be used as sub base material in road construction/will be given to brick manufacturers
For Rolling Mill				
2.	Mill Scales	1.2	12	Mill scales will be given to nearby Ferro alloys manufacturing units or casting units
3.	End Cutting	3.8	38	Recycled back as raw material in own induction Furnaces
For gasifier				
4.	Cinder	-	90	Will be given to brick manufacturing units
5.	Tar	-	4.2	Will be given to coal tar recyclers / agencies engaged in construction activities/given to nearby Pellet plant units

8. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- जल खपत एवं स्रोत – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 25 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन एवं रोलिंग मिल हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। क्षमता विकास उपरांत कुल 435 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 15 घनमीटर प्रतिदिन, इण्डक्शन फर्नेस हेतु 160 घनमीटर प्रतिदिन, रोलिंग मिल हेतु 230 घनमीटर प्रतिदिन एवं कोल मीरीफायर हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू-जल से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु अनुमति सेंट्रल गाउण्ड मॉटर अर्थात् से लिया जाना प्रस्तावित है।
- भू-जल उपयोग प्रबंधन – परियोजना स्थल सेंट्रल गाउण्ड मॉटर वाले के अनुसार रोक जोन में आता है। जिसके अनुसार-

(अ) तृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनर्वापण एवं पुनर्वापण किया जाना है।

(प) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाइ गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्डिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति संट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्डिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न नहीं होगा। कूलिंग उपसंत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनर्कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा। धरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीबेज ट्रिटमेंट प्लांट की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निरसारण की स्थिति स्थिर जाएगी।

9. विद्युत आपूर्ति स्रोत – परियोजना हेतु कुल 20 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति राज्य ग्रिड द्वारा किया जाएगा।

10. वृक्षारोपण संबंधी जानकारी – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल धोत्रफल के 3.09 हेक्टेयर (37.58 प्रतिशत) क्षेत्र में पौधे सोषित किया जाना प्रस्तावित है।

11. परियोजना प्रत्यावरक द्वारा बताया गया कि इंआईए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु मॉनिटरिंग का कार्य आरंभ नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी-१ कंटेमरी का हानि के कारण मारत सरकार पर्यावरण बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित रेप्लिक टप्सी ऑफ रिफरेन्स (टीओआर) फॉर इंआईए/इण्ट्रापी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्टस/एक्टीविटीज रिकार्डिंग इन्वायरिंग इन्वायरेंट क्लीयरेंस अण्डर इआईए गोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित अधीि २(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) इण्डिक्शन फॉरेस क्षमता – 3,96,000 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल के क्षमता विस्तार – 30,000 टन प्रतिवर्ष रो 3,60,000 टन प्रतिवर्ष तथा न्यू कॉल मैरीफोर (प्रोड्युसर गिरा) क्षमता – 19,800 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा हेतु जारी किए जाने की अनुमति गिर्मन अंतिरिक्त टीओआर के साथ की गई।

- i Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report for new season.
- ii Project proponent shall submit details of STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.
- iii Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- iv Project proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.
- v Project proponent shall submit NOC from Central Ground Water Authority for use of ground water.
- vi Project proponent shall submit layout earmarking atleast 15m wide green belt all along the periphery of the project area.
- vii Project Proponent shall submit detail proposal to restrict particulate matter emission to less than 30 mg/Nm³ in induction furnace(s) and less than 25 mg/Nm³ in rolling mill.

सभ्य रत्न पर्यावरण रामाधात निधांरण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को नदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स रामनिवास पोददार आर्डिनरी स्टोन माईन (पार्टनर—श्री सुदीप पोददार), ग्राम—सौंदा, तहसील—खडगवां, जिला—कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 969ए)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए /सीबी /एमआईएन / 44263 / 2019 दिनांक 06 / 10 / 2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियों होने से ज्ञापन दिनांक 25 / 10 / 2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बाहित जानकारी दिनांक 08 / 03 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित साधारण पद्धति (मोण खनिज) खदान है। खदान नाम—सौंदा तहसील—खडगवां, जिला—कोरिया स्थित खराल क्रमांक 135, कुल धोकाफल — 1 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन दमता — 20,070 धनमीटर प्रतिमी है।

बैठकों का विवरण —

- (अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18 / 05 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नरती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समान सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

- यदि पूर्ण में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य रत्न पर्यावरण रामाधात निधांरण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अध्यवा जिला रत्नीय पर्यावरण समाधात निधांरण प्राधिकरण (टी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय रवीकृति दी गई हो, तो पूर्ण में जारी पर्यावरणीय रवीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अवधान स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
- यदि खदान पूर्व से संवालित है, तो विभिन्न वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक गात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्तित करा कर प्रस्तुत की जाए।
- भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01 / 05 / 2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त रामरत्न पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना हेतु निर्देशित किया जाए।

नदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.री. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23 / 05 / 2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

- (ब) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 01 / 06 / 2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री निखार शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपरिणित हुए। समिति द्वारा नरती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर विभि स्थिति पाई गई।

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सेवा का दिनांक 07 / 03 / 2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना — क्षारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खगि अधिकारी, ज़िला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1136 / खगिज / 2019 कोरिया वैकुण्ठपुर, दिनांक 26 / 08 / 2019 हासा अनुगोदित है। क्षारी क्लोजर प्लान, माझीनिंग प्लान के अंतर्गत है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खगिज शाखा), ज़िला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक / 2356 / खगिज / 2020 कोरिया, दिनांक 28 / 05 / 2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निम्न है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र / संरचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (खगिज शाखा), ज़िला कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 2357 / खगिज / 2020 कोरिया, दिनांक 28 / 05 / 2020 हासा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में काई गी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, गरिजाद, गरघट, अरपताल, सफूल, पुल, बाघ, एनीकट, रेल लाइन, नहर एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबन्धित क्षेत्र नहीं हैं।
5. एलओआई का विवरण — यह शासकीय मूनि है, जिसमें एलओआई कार्यालय कलेक्टर (खगिज शाखा), ज़िला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 585 / खगिज / अस्थाई अनुश्चाल पत्र/कोरिया / 2019 वैकुण्ठपुर, दिनांक 06 / 06 / 2019 हासा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 2 वर्ष हेतु वैध है।
6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — भारत सरकार, पर्यावरण, का और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिकृतना दिनांक 15 / 01 / 2016 हासा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया कामपल, ज़िला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक / मा.वि. / 3060 वैकुण्ठपुर, दिनांक 07 / 05 / 2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र का मूगी की रीमा से 3 किमी. दूर है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आवादी ग्राम—सेवा 1 किमी., सफूल ग्राम—सेवा 1 किमी. एवं अरपताल खडगवा 4 किमी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 किमी. एवं राज्यमार्ग 30 किमी. दूर है। तालाब 0.5 किमी. एवं ली री. रोड 65 मीटर दूर है।
9. पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रत्यावक हासा 10 किमी. की परिधि में अतर्जजीय रीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हासा घोषित क्रिटिकल पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
10. खनन संपदा एवं खनन का विवरण — जियोलोजिकल रिजर्व लगभग 52,836 घनमीटर, माझीनेवल रिजर्व 28,513 घनमीटर एवं रिकहरेवल रिजर्व 25,662 घनमीटर हैं। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.341 हेक्टेयर) क्षेत्र छोड़ दिया गया है। ओपन कार्स्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 5.5 मीटर है। कृपारी मिट्टी की मात्रा 3,043

घनमीटर एवं मोटाई 0.5 मीटर है। बेच की ऊंचाई 3 मीटर एवं छोड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लारिटंग नहीं किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	20,070
द्वितीय	3,465

11. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु आवश्यक जल की स्थित 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति इकर द्वारा याम पर्याय के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत याम पर्याय का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। खदान में याम प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
12. वृक्षारोपण कार्य — लीज क्षेत्र की सीमा में बासों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
14. भागीदारी, प्रिसिपल बेच, नई दिल्ली द्वारा सत्याद पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अ.एम. (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अ.य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—
 - Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार शी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विरतार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40.20	2%	0.81	Following activities at Govt Middle School Village-Sainda Rain Water Harvesting System	1.12

		Running Water Arrangement	0.10
		Plantation	0.10
		Books Distribution related to Environment Conservation	0.05
		Total	1.37

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया -

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक /2356/खनिज/2020 कोरिया, दिनांक 28/05/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 गीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-रीदी) का रक्का 1 हेक्टेयर है। खदान की रीमा से 500 गीटर की परिसीधे में संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मार्गी गयी।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम-रीदा, तहसील-खडगढ़, जिला-कोरिया के खसरा क्रमांक 135 में स्थित साधारण पत्थर (ग्रीष्म खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर, अधिकतम क्षमता - 20,070 टन प्रतिवर्ष 2 वर्ष हेतु परिशिष्ट-04 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य रत्न पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को अनुसार रूपित किया जाए।

- मेरसर्स श्री विनोद कुमार अग्रवाल (खरकेना डोलोमाईट माईन), ग्राम-खरकेना, तहसील-तखतपुर, जिला-बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1240) ऑनलाईन आवेदन - पपोजल नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईएन / 52187 /2020, दिनांक 08 /03 /2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रकरण खदान के उत्खनन क्षमता के विस्तारीकरण का है। यह पूर्व से संचालित डोलोमाईट (ग्रीष्म खनिज) खदान है। खदान ग्राम-खरकेना, तहसील-तखतपुर, जिला-बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 1086, 1088, 1090, 1091, 1092, 1094, 1081/2, 1085/1, 1085/2, 1078, 1079, 1080, 1073/2, 1077/1, 1077/2, 1077/3, 1076, 1089 एवं 1087, कुल क्षेत्रफल-5.7 हेक्टेयर में है। खदान की वर्तमान उत्खनन क्षमता - 45,000 टन प्रतिवर्ष एवं आवेदित कुल उत्खनन क्षमता - 70,000.04 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रत्युत जानकारी का परीक्षण तथा दात्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

- यदि पूर्व में आवेदित रूपन पर खानन हेतु राज्य रत्न पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई

हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कृदारोपण की अद्यतन रिपोर्ट की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खण्डित विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ एम दिनांक 01 / 05 / 2018 के अनुसार शी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / वस्तावक (अधिकारी फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

नवानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23 / 05 / 2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 01 / 06 / 2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आयुष अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न रिपोर्ट पाइ गई-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत खरकेना का दिनांक 27 / 09 / 2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना – मॉडिफाईड क्वारी प्लान एलांग निय क्वारी नेलीजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संवालनालय, गौमोही तथा खण्डित के ज्ञापन क्रमांक 4664 / माईग्निंग-2 / क्यू.पी. / एफ.नं. 48 / 2015 न्या रायपुर दिनांक 03 / 11 / 2016 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय क्लेक्टर (खण्डित शाखा), जिला-विलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 568 / ख.लि / न.क्र / 2019 विलासपुर दिनांक 03 / 09 / 2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदान, कुल ठोक्रांक 16.308 हेक्टेयर हैं।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक दोत्र जैसे मंदिर, मर्मिजद, मरम्बद, अरपताल, रक्खुल, पुल, बांध, एंडीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिवर्तित क्षेत्र होने अथवा न होने संक्षी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. लीज का विवरण – गूँगे एवं लीज श्री तिनांद कुमार अग्रवाल के नाम पर हैं लीज डी.ड 20 वर्षों अवधि दिनांक 29 / 11 / 1996 से 28 / 11 / 2016 तक ती अवधि हेतु थी। तत्पश्चात् लीज डी.ड की अवधि में दिनांक 28 / 11 / 2046 तक के लिए वृद्धि की गई है।
6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिरूचना दिनांक 15 / 01 / 2016 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटसम आबादी ग्राम-खरकेना 0.5 कि.मी. रुकुल ग्राम-खरकेना 2 कि.मी. एवं अस्पताल बिल्हा 5 कि.मी. दूरी पर स्थित है।
8. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक छाता 10 कि.मी. की परिधि में अत्यधिकीय सीमा, कंदीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड ऐरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
9. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 44,69,025 टन एवं गाइनेवल रिवर्ज 30,38,954 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.971 हेक्टेयर) क्षेत्र होता है। औपन कास्ट में गहराई 3 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 88,110 एवं गोलाई 3 मीटर से 6 मीटर है। जिसे लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर में छम्प कर बुझारोपण किया जाएगा। बैंब की ऊंचाई 3 मीटर एवं गोलाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 44 वर्ष है। लीज क्षेत्र में कशर सम्पादित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं लाइंसिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम	8,187	3	24,561	70,000
द्वितीय	8,187	3	24,561	70,000
तृतीय	8,187	3	24,561	70,000
चतुर्थ	8,187	3	24,561	70,000
पंचम	8,187	3	24,561	70,000

आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
छठवें	8,187	3	24,561	70,000
सातवें	8,187	3	24,561	70,000
आठवें	8,187	3	24,561	70,000
नींवें	8,187	3	24,561	70,000
दसवें	8,187	3	24,561	70,000

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

10. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की खपत 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। वर्तमान में जल की आपूर्ति भू-जल से की जाती है। खदान से बायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यक्रम उपरांत अपनाई जाएगी। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड बोर्ड अर्डरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

11. वृक्षारोपण कार्य — लीज केन्द्र की सीमा में वारों और 7.5 मीटर की पहचान में 2,400 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 300 नग वृक्षारोपण किया गया है। इस प्रकार कुल 2,700 नग पौधे का रोपण किया जाएगा।

12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः—

- पूर्व में डोलोमाईट खदान खसाय क्रमांक 1086, 1088, 1090, 1091, 1092, 1094, 1081/2, 1085/1, 1085/2, 1078, 1079, 1080, 1073/2, 1077/1, 1077/2, 1077/3, 1076, 1089 एवं 1087, कुल क्षेत्रफल = 5.7 हेक्टेयर, क्षमता = 45,000 टन पत्रिकर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य सरकार पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण उत्तीसमव द्वारा दिनांक 10/10/2009 को जारी की गई।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रत्युत्त की गई है।
- निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), ज़िला-विलासपुर के ज़ामन क्रमांक /1170/ख.लि./न.क्र./2019 विलासपुर, दिनांक 17/10/2019 द्वारा विमत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्पादन (टन)	वर्ष	उत्पादन (टन)
2009–2010	40,240	2014–2015	44,780
2010–2011	44,850	2015–2016	44,800
2011–2012	44,960	2016–2017	44,930
2012–2013	37,400	2017–2018	44,280
2013–2014	44,800	2018–2019	44,900

13. प्रकरण क्षमता विस्तार का है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन मंगाया जाना आवश्यक है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ईआईए, रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु मॉनिटरिंग का कार्य आरंभ नहीं किया गया है।

15. माननीय एनजीटी, प्रिसिपल बैच, नई दिल्ली द्वारा साथें पाण्डेय विस्तृद्वारा सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 अंक 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में गुरुवा रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला-विलासपुर के ज़ामन क्रमांक 568/ख.लि./न.क्र./2019 विलासपुर, दिनांक 03/09/2019 के अनुसार आवेदित बाधान

से 500 मीटर के गोत्तर अवस्थित 3 खदानों कुल धोत्रफल 16,308 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-खरकेना) का रकवा 5.7 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-खरकेना) को मिलाकर कुल रकवा 22,008 हेक्टेयर है। खदान की लीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संवालित खदानों का कुल धोत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का बलरहित निश्चित होने के कारण यह खदान वीरा श्रेणी की मानी गयी।

2. आवेदित द्वारा दिए गए उपर्युक्त सर्वसम्मति से प्रकरण 'वी' के द्वारा के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित रटेंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर इंआईए / इएमपी, रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेस अपडेट इंआईए नोटिफिकेशन, 2006 में विषित श्रेणी 1(ए) का रटेंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नंगे काल माईनिंग प्रोजेक्ट्स के तु निम्न ग्राहित टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई।

- i. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit certificate regarding important structure within 200 meter radius from the mine, from the concerned department.
- iii. Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
- iv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- v. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.
- vi. Project Proponent shall do the plantation in 7.5 meter width of mine lease periphery during the current year and submit the report alongwith photographs will be EIA report.
- vii. Project proponent shall submit compliance report for Environment Clearance from Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur.

राज्य सरकार पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (एस.इ.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को उपानुसार सुनित किया जाए।

13. मेसर्स वी.एम. टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड (कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी), ग्राम-पूंजीपथरा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1253)

ऑनलाईन आवेदन – प्रणोगल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ 52289 / 2020, दिनांक 12/03/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह नवीन बॉयो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (सीवीएमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना है। यह परियोजना ग्राम-पूंजीपथरा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ रिस्ता खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 116/1, कुल एरिया-1.00 एकड़ में प्रस्तावित है। नवीन बॉयो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (सीवीएमडब्ल्यूटीएफ)

परियोजना इडक्शन 'लासमा पायरोलाईसिस 100 किलोग्राम/धण्डा, ऑटोकलेव क्षमता - 100 किलोग्राम/वंच एवं सेलर क्षमता - 100 किलोग्राम/धण्डा के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना का विविधोंग रूपए 2.7 करोड़ होगा।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नरती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. परियोजना हेतु नियांरित किए गए प्रोसेस की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. अन्य वैकल्पिक स्थलों के बयन के साथ ट्राइमेट फेरीलिटी की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल को पर्यावरणीय संरक्षण की दृष्टि से व्यवसित किए जाने की जानकारी प्रस्तुत करें।
3. नूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
4. याउंड वाटर रिंज व्यवस्थाओं एवं ऐन वाटर हार्डरिटी व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।
5. दृष्टिकोण हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण उपचारित दृष्टिकोण के उपर्योग / पुर्णउपर्योग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाए।
6. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, पर्यावरणिक डस्ट उत्सर्जन व्यवस्था एवं परिवहन व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत की जाए।
7. जैव-विकित्ता अपशिष्टों का अपवहन जैव-विकित्ता अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किए जाने हेतु प्रस्तावित व्यवस्थाओं के विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
8. दोसा अपशिष्टों के निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
9. प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
10. ल-आउट में प्रस्तावित वृक्षांशेषण को दर्शाते हुए वृक्षांशेषण की सभ्या व्यवस्थाएँ घोषकाल का विवरण प्रस्तुत की जाए। वृक्षांशेषण हेतु कार्यपालन प्रस्तुत की जाए।
11. रोन्ट्रल ग्राउंड बीटर अंथोरिटी द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार परियोजना स्थल सभी क्लिटिकल अथवा क्लिटिकल अथवा सेफ जीन के अंतर्गत आने वाले जानकारी प्रस्तुत की जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समर्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के उपायन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 01/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विपिन मालेक, डॉ.यरेक्टर एवं श्री राजनाम पटेल, जनरल मेंजर अपरिष्ठत हुए। उनके द्वारा बताया गया कि उक्त आवेदन को ऑनलाइन पार्टील में दिनांक 26/05/2020 को विडोल कर नया आवेदन किया गया है।

उपरोक्त के परिषेध्य में समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकल्प को डिस्ट्रिक्ट/नियंत्रित करने की अनुसारा की गई।

यह राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निधारण प्राधिकरण (एस.डब्ल्यू.एस.), छत्तीसगढ़ की अनुसार सूचित किया जाए।

14. मेसर्स की.एम. टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड (कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी), ग्राम—बरवसपुर, तहसील व जिला—कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1254)

ऑनलाईन आवेदन — प्रयोगजल नंबर — एसआईए / सीजी / एमआईएस / 52327 / 2020, दिनांक 13 / 03 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित बांधो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (सीटीएमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना है। यह परियोजना ग्राम—बरवसपुर, तहसील व जिला—कोरबा रियत खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 359, कुल एरिया—0.4062 हेक्टेयर (1 एकड़) क्षेत्र में प्रस्तावित है। परियोजना के अंतर्गत इडक्षन प्लार्मा पायरलाइरिस क्षमता — 100 किलोग्राम/घण्टा, ऑटोक्लेव क्षमता — 100 लीटर/बैच एवं शेडर क्षमता — 100 किलोग्राम/घण्टा के पर्यावरणीय रवीकृति प्राप्त करने के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना का विनियोग रूपए 2.75 करोड़ होगा।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18 / 05 / 2020:

समिति द्वारा प्रकल्प की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उत्तम सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. परियोजना हेतु नियारित किए गए प्रोरोस की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. अन्य वैकल्पिक स्थलों के व्यय के साथ ट्रीटमेंट फेसीलिटी की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल को पर्यावरणीय संरक्षण की दृष्टि से व्यवस्थित किए जाने की जानकारी प्रस्तुत करें।
3. भूमि रखानी संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
4. ग्राउंड वाटर रिवोज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्डस्टिम व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।
5. दूषित जल हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुनरुत्पयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाए।
6. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, प्रयूजिटिव डस्ट उत्तर्जन व्यवस्था एवं परिवहन व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत की जाए।
7. जैव-विकित्सा अपशिष्टों का अपवहन जैव-विकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (यथा संशोधित) के ग्रावधानों के अनुसार किए जाने हेतु प्रस्तावित व्यवस्थाओं के विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
8. ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
9. प्रस्तावित कुर्जा संरक्षण के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।

10. लै-आउट में प्रस्तावित नुक्सारोपण को दर्शाते हुए नुक्सारोपण की सल्ला तथा क्षेत्राकल का विवरण प्रस्तुत की जाए। नुक्सारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
11. रोन्टॉल ग्राउंड कॉटर अर्थात् इमारत का विवरण प्रस्तुत की जाए। इमारत का विवरण अर्थात् कॉटर अर्थात् रोन्टॉल के अंतर्गत आगे बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आधोजित बैठक में उपलेक्त समर्त सुनागत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

वानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.इ.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन निम्न
23 / 05 / 2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 01 / 06 / 2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विपिन मलिक, डॉक्टर एवं श्री राजाराम पटेल, जनरल मैनेजर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न रिपोर्ट पाइ गई—

1. समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी —

- समीपस्थ आवादी ग्राम-उरगा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके नदी 2.0 कि.मी. दूर स्थित है। राज्य गार्भ — 2.24 कि.मी., राष्ट्रीय राजमार्ग — 0.78 कि.मी. एवं रेल्वे रेलेशन कोरबा 4.83 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अतर्जलीय रीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा पांचित प्रिंटेकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवप्रिकाता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
- 2. एल.ओ.आई. का विवरण — एल.ओ.आई. कार्यालय आयुक्त विलासपुर रामगंगा, विलासपुर के ज्ञापन क्रमांक / 2984 / सामान्य / 2019 विलासपुर दिनांक 25 / 11 / 2019 द्वारा जारी की गई है।
- 3. ट्रीटमेंट फेर्सीलिटी —

• BRIEF SPECIFICATIONS OF INDUCTION PYROLYSIS INCINERATOR

Specifications Of Induction Plasma Pyrolysis	
Capacity	100 KG Per Hour
Type	Cylindrical Vertical (solid waste feeding)
Revolution	0.2 to 1 rpm
Volume	3 m ³
Moc (Shell)	SS3310- 10mm Thick
Chamber Pressure	10-20mm WC
Travel Speed	6.02 mtr / Hr
Refractory Thick	25 mm
Inner Diameter of Kiln	1000mm
Inner Length of Kiln	3000mm
Flue Gas Velocity	1.3mtr / Sec
Ash And Resudes Separation	Ash Separator With Hot Ash Removal Screw Convayor

Gas Leakage Prevention	Unit High Pressure air sealing for Prevent Flue Gas Leakage
Back Pressure Prevention	From Charging Door Compressed Door Mechanism
Explosion Safety Exploitation	Davit Arrangement (Internal)
Waster Loading Mechanism	Bucket Elevator With Hopper
Waste Receiving From Kiln Side Feeding unit	Hoper unit With Safety Door 5HP
Nature / Category of waste	Incinerable bio-medical waste with Maximum 85% moisture Content
Heat Loss Fraction	0.05
Design Temperature	1400 °C
Source Of Energy	Electric
Combustion Efficiency	At Least 99 %
Temperature Resistance (Primary Chamber)	1400°C
Temperature Resistance (Secondary chamber)	1200°C
Preheating Time	Maximum One Hour
Temperature In Primary Chamber	800 + 50 °C and 800-50°C
Temperature In Secondary Chamber	1050 + 50 °C and 1050 – 50 °C
O ₂ content in Primary Chamber	6%
Residence time for flue gas in Secondary Chamber	2 sec

- BRIEF SPECIFICATIONS OF SECONDARY CHAMBER**

Description	Specification
Type	Cylindrical Statical
Inclination	Vertical 90 or horizontal
Volume	2 m ³
MOC(Shell)	SS304 or MS 2062 refractory lined
Chamber pressure	10-20 mm WC
Refractory Thick	25mm
Inner Size of chamber	1m
Inner length of chamber	2m
Tyre Wheel	250 wide 2 set
Flue gas velocity	1.9 mtr/sec
Ash and Residues Separation	Ash Separator with Hot Ash Removal Screw Conveyor
Gas Leakage	High Pressure Air sealing for Prevent Flue Gas Leakage
Explosion Safety	Explosion Davit Arrangement (Internal) Top With Counter Weight Linked With Plc Control
Retention time of flue	2 - 2.2 Second Gases In Chamber

- Autoclave**

Technical Specifications	
Capacity	100 Litre/hr x 1 No
Model No	NEET AC100
MOC	SS - 304
Heating Media	By steam generated from Electric heater arrangement.
Feeding	Manual through horizontal Trolley

Safety Instrument	Pressure Gauge and Safety Valve
Insulation	Ceramic wool on outer side
Pressure	2.1 kg/cm ²
Temperature	121 to 134°C
Design Temperature	150°C
Air Emission	Highly Odorous but Non Toxic
Water Emission	Odorous May Contain Live Micro Organisms at Base
Treatment Effluent	Low Wet Waste 10 % Heavier all Material Acceptance Recognizable

- Shredder

Technical Specifications	
Capacity	100 Kg/Hr x 1 No
MODEL No.	NEET AC100
Waste Materials	Biomedical waste
Power	3 HP
Motor	3 Phase 50 Hz 415 VAC
Shredding Size	25 X50 mm Waste Cutting
Hopper Size	300 X 400 mm Height
Drive	V belt Pulley drive
Required Space	2m ² (only machine)
MOC	MS Fabricated
MOC of Blade	W.P.S. Hardened changeable Blade
Cutting Blade	5 Nos (3 movables & 2 fix blade)
Control Panel	Dual starter ON/OFF switch
Bearing	SKF/ZKL Ball Bearing

4. हजार्ड एवं ठोस अपविष्ट अपवहन व्यवस्था -

Hazardous & Solid Waste Management				
CAT. NO.	TYPE OF HAZARDOUS AND OTHER WASTE	SOURCE	QUANTITY GENERATED (Kg/Day)	METHOD OF DISPOSAL
36.2	Ash	Incinerator	500	Sent to TSDF Sent to TSDF site for landfilling or cement co-processing
34.3	ETP Sludge	ETP area	75	Sent to Authorized Recyclers
-	Plastic Waste after Autoclave and shredding	Shredder	500	Sent to Authorized Recyclers
-	Glass and metallic body implants After Autoclave	Autoclave	300	Sent to Authorized Recyclers
-	Metal Sharps after Autoclave and Shredding	Shredding	As generated	Sent to foundry for metal recovery / TSDF
5.1	Waste oil	From Plant & Machineries	10	Sent to Authorized Recyclers
-	Used batteries		As generated	Sent to Authorized Recyclers



जल प्रबंधन व्यवस्था -

- जल खपत एवं स्त्रोत – परियोजना हेतु कुल 10 मिलोलीटर प्रतिदिन (भरत उपयोग हेतु 0.8 मिलोलीटर प्रतिदिन, गार्डनिंग हेतु 2.5 किलोलीटर प्रतिदिन

एवं अन्य उपयोग हेतु 6.7 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाएगा। अन्यथा काल की आपूर्ति बोर्डले से की जाएगी। इस हेतु मृजल प्राप्तिकरण (CCWA) से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – घरेलू दूषित जल की मात्रा 0.6 किलोलीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक दूषित जल की मात्रा 4.6 किलोलीटर प्रतिदिन होगी। दूषित जल के उपचार हेतु इफल्युएट ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता—10 किलोलीटर प्रतिदिन की रक्षापना किया जाना प्रस्तावित है। इफल्युएट ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत कलेक्शन कम एक्वालाइज़ेशन टैंक, फ्लैश मिक्सर एवं प्लॉक्युलेट, प्राइमरी सेटलिंग टैंक, एरिएशन टैंक, सेकण्डरी सेटलिंग टैंक, इटर्निटेट र्टोरेज टैंक, पप, रस्त ड्राइंग बेड, पी.एस.एफ., एवं ए.सी.एफ., डिसइन्फेक्टेट गीडिया की तरह किया जाएगा। ट्रीटेट बेरट वॉटर टैंक आदि रखापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल को विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा। शूग निरसारण की स्थिति रखी जाएगी।
- **रेन वॉटर हार्डस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर कलेक्शन टैंक क्षमता 15 किलोलीटर (2 नग) प्लांट के भीतर निर्मित की जाएगी। ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज क्षमता 1,442 घनमीटर प्रतिवर्ष होगा।
- 6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – Induction Plasma Pyrolysis में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वेक्टरी स्कवर एवं खिंचवर के साथ पेकड बैंड स्कवर की बातरथा किया जाना प्रस्तावित है। डी.जी. सेट में चिमनी की ऊंचाई 12 मीटर होगी। फ्युजिटिव डस्ट उत्तरार्जन नियन्त्रण हेतु जल छिड़काव किया जाना प्रस्तावित है।
- 7. **परिवहन व्यवस्था** – जैव-विकित्सा अपशिष्ट का संग्रहण एवं परिवहन जैव-विकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।
- 8. **विद्युत खपत एवं स्ट्रोत** – परियोजना हेतु कुल 80 केल्वी.ए. विद्युत की आवश्यकता है। जितकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ सर्ज विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 150 केल्वी. डी.जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित है।
- 9. **वृक्षारोपण की स्थिति** – कुल क्षेत्रफल में से लगभग 1,350 वर्गमीटर (लगभग 33.33 प्रतिशत) में 325 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि प्रकारण वी-१ केटेमरी का होने के कारण मारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित रैटेंडर्ड टम्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर इआईए/इएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अप्टर इआईए नोटिफिकेशन, 2006 में कॉमन हजार्डरा वेस्ट ट्रीटमेंट, र्टोरेज एण्ड डिस्पोजल फैसीलिटी (टीएसडीएफएस) (Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)) हेतु वर्णित श्रेणी ७(डी) का रैटेंडर्ड टीओआर (लोक सुनावाइ सहित) New Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अन्तर्गत इलेक्शन प्लारगा पायरोलाईरिंग क्षमता — 100 किलोग्राम/घण्टा, जौनोफलव क्षमता — 100 लीटर/घंच एवं शेडर क्षमता — 100 किलोग्राम/घण्टा हेतु निम्न अधिकारी टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की जाये—

- इ.आई.ए. रिपोर्ट बनाने हेतु मॉनिटरिंग कार्य प्रारंभ करने से पूर्व एस.इ.ए.सी. छत्तीसगढ़ को सूचित किया जाए।
 - उपरोक्त स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) में “परिसंकटमय अपशिष्टों” के स्थान पर “जैव-विकित्सा अपशिष्टों” का उल्लेख किया जाए। तदनुसार युक्तियुक्त संशोधन किया जाए।
 - जैव-विकित्सा अपशिष्टों का संग्रहण, हथालन (handling), भंडारण, परिवहन एवं निपटान (disposal) तथा उपचारित दृष्टिं जल गृणवत्ता एवं नायु प्रदूषकों के उत्तरज्ञ वावटु अधिसूचित मानकों का पालन जैव-विकित्सा अपशिष्ट प्रक्रम नियम, 2016 (यथा संशोधित) के प्राक्तानों के अनुराग किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तदनुसार इ.आई.ए. में प्रतान का रामायेश किया जाए।
 - मूँ-जल के उपचार हेतु सोन्ट्रल ग्राउंड बॉटर अधिसूचित का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
 - परियोजना क्षेत्र के घारों ओर वृक्षारोपण की दर्शाते हुए संशोधित ले-आउट प्रस्तुत किया जाए।
 - सी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) का विरचित प्रस्ताव (प्रस्तावित रक्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार सर्वे का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।
- गृह्य स्तर पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (एस.इ.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।
- गेसर्स श्री यशवंत कुमार राजवाडे (राजापुर ब्रिक्स अर्थ क्षारी), ग्राम—राजापुर, तहसील—रामानुजनगर, जिला—सूरजपुर (सविवालय का नस्ती क्रमांक 1162)
ऑनलाइन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन / 141636 / 2020, दिनांक 08 / 02 / 2020।
- प्रस्ताव का विवरण** — यह प्रस्तावित भिट्ठी उत्खनन (गोण खनिज) खदान है। खदान ग्राम—राजापुर, तहसील—रामानुजनगर, जिला—सूरजपुर रिश्तत खराचा क्रमांक 136, कुल दोवक्त 1.05 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित भिट्ठी उत्खनन (गोण खनिज) दामता—1.564 घनमीटर प्रतिवर्ष है।
- बैठकों का विवरण** —
- (अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18 / 05 / 2020:
समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तदामा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:—
 - गांग पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यकारी बैठक रासित) की स्थाप्ति / पठनीय पति प्रस्तुत किया जाए।
 - मूगे स्वामित्व संकेती दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
 - यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु गृह्य स्तर पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (एस.इ.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिक्त शर्तों के पालन

में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफर सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की उत्थान सिविली की जानकारी फोटोग्राफर सहित प्रस्तुत की जाए।

4. यदि खदान पूर्व से शब्दालिपि है, तो विमत वर्षों में किए गए उत्थान की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. गारुद सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओपर दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्ररकारक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अध्यान फोटोग्राफर) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिशित किया जाए।

चान्दूलाल परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, उत्तरीसमक के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 01/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मुलाव साय डहरिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति हारा नस्ती, परतुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पत्ति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्थान के संचय में ग्राम पंचायत राजापुर का दिनांक 12/06/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्थान योजना — कारी प्लान एलांग विथ क्वारी ब्लोजर प्लान विथ इन्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला—कोरिया के ज्ञापन क्रमांक /2083/खनिज/खलि.2/2020 कोरिया, वैकुण्ठपुर, दिनांक 23/01/2020 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला—सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3742ए/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 02/05/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अधिकार अंतर्खाता अंतर्खाता की संख्या निरंक है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए — कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला—सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3742ए/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 02/05/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र नहीं सूचित है। अरधट, अरपताल, रक्कूल, पुल, चांच, एंगीकट, रेल लाईन एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिवर्तित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
5. एलओआई का विवरण — एलओआई कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1901/खनिज/ई—निविदा—राजापुर/2019 सूरजपुर, दिनांक 14/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 30 वर्ष हेतु वैध है।
6. भूमि स्वामित्व — गुर्गे श्री लीला सम राजनांड के नाम पर है। उत्थान हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

७. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
८. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय कनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, जिला—सूरजपुर के द्वापन क्रमांक/मा.चि./4385 सूरजपुर, दिनांक 30/10/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
९. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम—सूरजपुर 1 कि.मी. स्कूल ग्राम—सूरजपुर 1 कि.मी. एवं असपाल सूरजपुर 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। तालाब 20 मीटर की दूरी पर है।
१०. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूशन एरिया, पारिस्थितिकीय रानिदारशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिशेदित किया है।
११. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 17,712 घनमीटर, माइनिंगल रिजर्व 13,229 घनमीटर एवं रिकवरेशन रिजर्व 12,568 घनमीटर है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर (0.058 हक्टेयर) क्षेत्र होता है। ओपन कार्स्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 1.8 मीटर है। प्रस्तावित विमानी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईंगिराण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई एश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संगावित आयु 10 वर्ष है। वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

प्रथम पांच वर्षों की उत्पादन योजना

वर्षवार उत्पादन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्पादन (नग)
प्रथम वर्ष प्रथम वेच	700	0.8	560	
प्रथम वर्ष द्वितीय वेच	640	1.0	640	7,50,000
द्वितीय वर्ष प्रथम वेच	700	0.8	560	
द्वितीय वर्ष द्वितीय वेच	640	1.0	640	7,50,000
तृतीय वर्ष प्रथम वेच	700	0.8	560	
तृतीय वर्ष द्वितीय वेच	640	1.0	640	7,50,000
चतुर्थ वर्ष प्रथम वेच	700	0.8	560	
चतुर्थ वर्ष द्वितीय वेच	640	1.0	640	7,50,000
पंचम वर्ष प्रथम वेच	750	0.8	600	
पंचम वर्ष द्वितीय वेच	700	1.0	700	8,12,500

आगामी पांच वर्षों की उत्पादन योजना

वर्षवार उत्पादन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्पादन (नग)
छठवे वर्ष प्रथम वेच	750	0.8	600	
छठवे वर्ष द्वितीय वेच	700	1.0	700	8,12,500

सातवें वर्ष प्रथम बैच	750	0.8	600	8,12,500
सातवें वर्ष द्वितीय बैच	700	1.0	700	
आठवें वर्ष प्रथम बैच	800	0.8	640	8,75,000
आठवें वर्ष द्वितीय बैच	760	1.0	760	
नौवें वर्ष प्रथम बैच	1,095	0.8	876	9,37,500
नौवें वर्ष द्वितीय बैच	624	1.0	624	
दशवें वर्ष प्रथम बैच	1,564	1.0	1,564	9,77,500

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति लीज थोके के बाहर स्थित खेतों के बोरखेल से की जाएगी। इस बावजूद आवश्यक अनुमति प्राप्त की जाएगी। खदान में चायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज थोके की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 700 नम वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
15. परियोजना प्रस्तावका द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित क्षेत्र पर इंट निर्माण इकाई अधिकतम दरमता 9,77,500 नम किया जाएगा, जिसका उल्लेख श्रुतिवश आवेदन में नहीं किया गया है। अतः पर्यावरणीय स्वीकृति मिट्टी उत्खनन (मीण खण्ड) दरमता—1,564 घनमीटर प्रतिवर्ष (इंट निर्माण इकाई क्षमता 9,77,500 नम) हेतु जारी किये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।
16. माननीय एन.जी.टी., दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विश्वव्यू भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निमानुसार निर्देशित किया गया है—
- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सम्बन्धित वर्ती उपरांत निमानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

			Following activities at Govt Primary School Village-Rajapur		
			Rain Water Harvesting System	Drinking Water	0.50
30	2%	0.60	Potable Water	0.30	
			Running Water Arrangement	0.40	
			Plantation	0.30	
			Total	1.50	

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि स्थल नियीक्षण के उपरांत सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खगि शाखा), जिला—सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3742ए/खनिज/2020 दिनांक 02/05/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरक है। आवेदित खदान (ग्राम—राजापुर) का रक्कड़ा 1.05 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थीकृत/संवालित लाचानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम—राजापुर, तहसील—सामान्यनगर, जिला—सूरजपुर के खसारा क्रमांक 136 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गोण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल — 1.05 हेक्टेयर, क्षमता — 1,564 घनमीटर (इट निर्माण इकाई क्षमता 9,77,500 नग) प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-05 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्थीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

अब यह पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राप्तिकरण (एसईआईएए), उत्तीर्णगढ़ को तदानुसार रूपीत किया जाए।

16. मेरसस एम.एम. इंटरप्राइसेस (बैजलपुर लाईम स्टोन माईन), ग्राम—बैजलपुर, तहसील—बलोदा, जिला—जांजगीर-चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1161)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए / शीजी / एमआईएन / 141563 / 2020, दिनांक 07 / 02 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित राधारण पत्थर (गोण खनिज) खदान है। खदान ग्राम—बैजलपुर, तहसील—बलोदा, जिला—जांजगीर-चांपा स्थित खसारा क्रमांक 394 / 1, 394 / 4, 394 / 2, 389 / 3, 397, 395, (398 / 1, 422 / 2, 421 / 2), कुल क्षेत्रफल—2.173 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता — 36,252 एन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18 / 05 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

- यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु सज्य स्तर पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (बी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय रवीकृति की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय रवीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कृदारोपण की अद्यतन रिपोर्ट की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
- यदि खदान पूर्ण से संतुलित है, तो विमत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्ताप्रिक मात्रा की जानकारी खगिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
- मारता सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रत्यावर प्रस्तुत किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त रामरत पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिशित किया जाए।

दानानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 326वीं बैठक दिनांक 01/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री महेन्द्र मित्ताल, प्रोप्रोफेशनल उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न रिपोर्ट पाई गई—

- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कलमंदा का दिनांक 16/02/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना — क्लारी प्लान एवं क्वारी ब्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खण्ड प्रशा.), जिला—कोरका के ज्ञापन क्रमांक 316/खलि./उ.यो.अ./2017 कोरका, दिनांक 15/01/2020 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खगिज शाखा), जिला—जांजगीर चापा के ज्ञापन क्रमांक 3027/मौण खगिज/ई—गिविदा/न.क./2019–20 जांजगीर, दिनांक 11/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के गीतार अवस्थित 18 खदानों, शेत्रफल 13.053 हेक्टेयर हैं।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए — कार्यालय कलेक्टर (खगिज शाखा), जिला—जांजगीर चापा के ज्ञापन क्रमांक 665/गौण खगिज/ई—गिविदा/न.क./2019–20 जांजगीर, दिनांक 07/09/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में काइ मी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे गाडिय, मरघट, अरपताल, स्कूल, पुल, बाघ, एनीकट, रेल लाइन एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
- एल.ओ.आई. का विवरण — एल.ओ.आई. संचालनालय, गोगिकी तथा खगिकाम, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1546 /खगिज/उ.प.—अनु.निष्पा./न.क.50/2017 नवा सायपुर, दिनांक 04/03/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

6. भूमि स्वामित्व – भूमि खरारा क्रमांक 398, 421/2 एवं 422/2 आवेदक के नाम पर है तथा खरारा क्रमांक 389/3 श्री लखन रिह शत्यनासयण, शंकर दामु वजसंग, पवन, खरारा क्रमांक 394/1, 394/4 श्री शिव कुमार, खरारा क्रमांक 394/2 श्री अमरन रिह, खरारा क्रमांक 395 श्री चमरा रिह एवं श्री सामार रिह एवं खरारा क्रमांक 397 श्री सुख सामर के नाम पर है। उत्थनन हेतु साहमणि पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – भारत सरकार, पर्यावरण का और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 15/01/2016 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर वांपा वनमण्डल वांपा के झापन क्रमांक /तक.अधि/462 वांपा, दिनांक 21/01/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की रीमा से 0.3 कि.मी. दूर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी गाम-देवलपुर 0.75 कि.मी. रक्कुल गाम-देवलपुर 1 कि.मी., असपाल वांपा 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। यांत्रीय सज्जमार्ग 6.5 कि.मी. एवं सज्जमार्ग 6.5 कि.मी. दूर है। हरावेत नदी 1.85 कि.मी. दूर है। नाला 0.35 कि.मी., तालाब 0.55 कि.मी. एवं पुल 0.73 कि.मी. की दूरी पर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अतराज्जीय रीमा, कन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण घोड़ द्वारा भोगित किटिकली फॉल्यूटेड ऐरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या भोगित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 8,14,875 टन, माइनेबल रिवर्ज 3,60,737 टन एवं रिक्फरेबल रिजर्व 3,42,700 टन है। लीज क्षेत्र के बारे ओर 7.5 मीटर (0.686 हेक्टेयर) क्षेत्र छोड़ा जाएगा। आपन कारट समी मेकेनाइज्ड विधि से उत्थनन किया जाएगा। उत्थनन की प्रस्तावित अधिकतम महसूइ 16 मीटर है। कूपी मिट्टी की मात्रा 7,834 पनमीटर एवं मोलाइ 1 मीटर है। तेज की ऊचाई 3 मीटर एवं लौचाइ 3 मीटर है। अदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। जैक हमर से डिलिंग एवं ब्लारिटम किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्थनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्षवार प्रस्तावित उत्थनन योजना

वर्षवार	प्रस्तावित उत्पादन (टन)
प्रथम वर्ष	36,252
द्वितीय वर्ष	34,347
तृतीय वर्ष	33,003
चतुर्थ वर्ष	34,506
पंचम वर्ष	35,503
छठवें वर्ष	34,257
सातवें वर्ष	35,853
आठवें वर्ष	32,775

•संवर्धनीय	32,005
दसवार्षीय	34,198

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों का साउण्डऑफ किया गया है।

12. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु आवश्यक जल की खपत 9.52 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। खदान में पानु प्रवृत्ति नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।
13. वृक्षारोपण कार्य — लीज थोक की रीमा में वारों और 7.5 मीटर की पहुँची में 1.371 नगर वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. प्रतिबंधित क्षेत्र में उत्खनन — परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज थोक में पूर्व से 1.009 घनमीटर क्षेत्र उत्खनित है। जिसमें 7.5 मीटर के सेपटी पेल्ट के अंतर्गत का क्षेत्र भी शामिल है। उक्त क्षेत्र का ओरहर बड़न से भरव कर वृक्षारोपण किया जाएगा। इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
15. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ईआईए रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु मॉनिटरिंग का कार्य आरंभ नहीं किया गया है।
17. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर चांपा के ज्ञापन क्रमांक 3027 / मीण खनिज/ ई-निविदा/ नक्का/ 2019-20 जांजगीर, दिनांक 11/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 18 खदान, थोकफल 13.063 हेक्टेयर होना बताया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह खपत नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? अतः ईआईए नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) में परिभित कलरटर की मण्डा किये जाने के लिए 500 मीटर की परिधि में आने वाले समस्त खदानों का प्रमाण पत्र प्राप्त कर तदनुसार ईआईए अध्ययन किया जाए।
18. माननीय स.न.जी.टी., प्रिंसिपल वेब, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय निरुद्ध मारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एजिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 की पारित आदेश में गुरुव्य रूप से निमानुसार निर्देशित किया गया है—
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
19. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — मारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से वर्चा उपरांत निमानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
55	2%	1.10	Following activities at Govt. Primary School Village-Baijalpur	
			Rain Water Harvesting System	0.86
			Running Water Arrangement	0.10
			Plantation	0.10
			Books Distribution related to Environment Conservation	0.05
			Total	1.11

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर चांपा के ज्ञापन क्रमांक 3027 / गौण खनिज / ई-निविदा / न.क्र./ 2019-20 जांजगीर, दिनांक 11 / 02 / 2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 18 खदानें, क्षेत्रफल 13.053 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (ग्राम-बैजलपुर) का रकबा 2.173 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-बैजलपुर) को मिलाकर कुल रकबा 15.226 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का कलस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
 - Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - Project Proponent shall do the plantation in 7.5 meter width of mine lease periphery during the current year and submit the report along with photographs will be EIA report.
 - Project Proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

- iv. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines from concerned department as per EIA notification and accordingly EIA study shall be carried out.
- v. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

राज्य स्तर पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

~~(भोसकर विलम्ब संदिपान)~~
सदस्य सचिव
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़


(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स तिरुपति बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड

(कपाट बहरी आर्डिनरी स्टोन टेम्पररी परमिट क्वारी माईन)

को खसरा क्रमांक 1117/19, कुल लीज क्षेत्र 0.971 हेक्टेयर, ग्राम-कपाट बहरी, तहसील-बतौली, जिला-सरगुजा में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन अधिकतम क्षमता - 78,243 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु दी गई है।
2. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकारी उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 0.971 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकारी उत्खनन 78,243 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का दीमांकन कराकर पक्के मुगारे लगाया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्खनन जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो) के उपचार की उन्नित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. आधिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सातही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निरसारित नहीं किया जाए। अपेक्षु इसे प्रक्रिया में अथवा वृद्धारोपण हेतु पुनरुत्पयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए रोटिक टैक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निरसारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाकर्त्तु का जल आपस में न गिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवाया परिवर्तन एवं वन विभाग द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
5. खनि पट्टा धारक खान संवालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनर्स्थापन। इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनरप्तियों, जीवों आदि के उत्पाति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सहम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक गाह के गीतर प्रस्तुत किया जाए।
6. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
7. किसी विमनी / वेट / खार्ट सोस द्वारा पार्टिकुलेट गेटर उत्खनन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। कशर, खनन, टारांफर प्राइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का वेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के निश्चन स्रोतों से उत्पन्न पर्यावरणिक डस्ट उत्खनन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुंच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्खनन विनियुक्तों डस्ट कंट्रोल कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिलकाव की व्यवस्था की जाकर

इलोका सातह संचालन / संचालण सुनिश्चित किया जाए। विष्ट ब्रैकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

8. बाहरी, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनियोगी गानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन थोक में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, बन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित गानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
9. लीज थोक के बारे तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की ऊँची पट्टी में कोई वर्षट का ढंप / मण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में क्षारोपण किया जाए।
10. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली गृषि के पुनरुत्थार हेतु अथवा बहरी ओवरस्पॉल्न को रिपर (रेटेविलाइज) करने में किया जाए। जहाँ पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (फॉनकरेटली) उपयोग किया जाना रामबन हो, तब उसे पृथक से मण्डारित कर मार्गिष में उपयोग हेतु रखा जाए।
11. ओवरस्पॉल्न एवं अनुपयोगी/विकी अयोग्य खनिज (वेर्ट सॉक) को पृथक से पूर्व से किट्ठीत स्थल पर मण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के मण्डारण स्थलों को लंबित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि मण्डारित पदार्थ आस-पास की गृषि पर डिपरित प्रभाव न लाल राके। उम्मी की ऊंचाई 3 मीटर तथा रलोप 28 लिंगी से अधिक न हो। ओवरस्पॉल्न उम्मी का कारण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से क्षारोपण किया जाए।
12. जहाँ तक रामबन हो ओवरस्पॉल्न एवं अन्य अनुपयोगी/विकी अयोग्य खनिज (वेर्ट सॉक) को खनन के पश्चात वो गड्ढों में पुनर्वरण (वैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि गृषि का मूल उपयोग अथवा बाहित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
13. जरियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न रिल्ट लीज थोक के आस-पास के सातही जल स्रोतों में प्रवाहित न रहे। इसे रोकने हेतु गाहन ग्रीट तथा उम्मी थोक में रिटार्निंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की लागत की जाए।
14. खनिज का परिवहन मेकनेकली कहाँ वाहन से किया जाए, ताकि खनिज बाहर से बाहर नहीं भिजे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को धमता से अधिक नहीं मरा जाना। सुनिश्चित किया जाए।
15. भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओपर दिनांक 01/05/2018 के अनुसार शी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
58.33	2%	1.17	Following activities at Govt Middle School Village-Kapat Bahari	

		Rain Harvesting System	Water	1.23
		Plantation	0.10	
		Total	1.33	

16. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
17. उत्खनन हेतु निर्गम क्षेत्र (चारों ओर 7.5 मीटर तौला थोड़ा) हॉल ब्रोड, आवश्यकतानुसार आदि में स्थानीय प्रजाति के 586 वृक्षों का सम्पन्न वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। पहुंच गार्म पर 950 नये पौधे लगाए जायेंगे। हारित पर्याय का विकास कार्यवाही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भागीदारिका के अनुसार किया जाए।
18. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा काटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा घनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। घनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DBA एवं साति के समय 70 DBA से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र घनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले अग्रिमों की उपरालग / गाफ आदि प्रदान किए जाएं एवं सामय समय पर विकित्सकीय जीव एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
20. संक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपलब्ध चुराईत एवं नियंत्रित विश्व रोबास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाइंग सैंकरा) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं संक्षम व्यवस्था किया जाए। बट ड्रिलिंग अथवा वायु पद्धति नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
21. उत्खनन प्रक्रिया मूँ-जल स्तर के उपर असंतुष्ट प्रभाव में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया मूँ-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
22. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि कार्यतात्मक एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गैण खनिज का उत्खनन छल्लीसमंड गैण खनिज नियम 2015 के प्राक्कान्नी, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माइंग एक्ट 1952 के प्राक्कान्नी का पालन किया जाए।
24. कार्य स्थल पर यादे कमिंग अग्रिकल्यान कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे अग्रिकल्यान के आवास हेतु उपयित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
25. अग्रिकल्यान के लिए खनन स्थल पर रखच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
26. अग्रिकल्यान का सामय-समय पर आक्यूपेशनल इल्यू सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

27. उत्थनन की तकनीक कार्य धंत्र एवं अनुमोदित उत्थनन योजना के अनुरूप वापिक योजना विसमें उत्थनन स्थिति की गत्रा एवं अपशिष्ट समिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.एस. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
28. इस पर्यावरणीय स्थीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिमत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्थीकृति किसी निजो सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिमत अधिकारों के अतिकरण अथवा कोन्द, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
29. एस.ई.आई.एस. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संखण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनियोजित शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निरसाव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
30. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 रथानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना धंत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्थीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की रूपना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्थीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्थीकृति पत्र की प्रतियों संविवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संखण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.एस. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
31. पर्यावरणीय स्थीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की ऊंची वापिक ईंपर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संखण मण्डल, अटल नगर, शेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संखण मण्डल, अधिकारी, एस.ई.आई.एस. छत्तीसगढ़ एवं शेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नामपुर को प्रेषित किया जाए।
32. शेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नामपुर द्वारा पर्यावरणीय स्थीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा रामय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन को पूर्ण सेव शेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, नामपुर को प्रेषित किया जाए।
33. एस.ई.आई.एस. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / शेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नामपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संखण मण्डल के वेजानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
34. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संखण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटग्राम और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संबलन) नियम, 2016 तथा लोक दण्डित वीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनियोजित की जा सकती है।

35. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पूर्ण नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर निवार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने वाले निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
36. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय रवीकृति की प्रति को उनके हांचीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
37. पर्यावरणीय रवीकृति के विरुद्ध आपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की घारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स तिरुपति बिल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड

(मंगारी आर्डिनेशन स्टोन टेम्पररी परमिट क्वारी माईन)

को खसरा क्रमांक 846/2, 846/3 एवं 846/4, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर, ग्राम-मंगारी, तहसील-बतौली, जिला-सरगुजा में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन अधिकतम क्षमता-80,195 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय रक्तीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. यह पर्यावरणीय रक्तीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, सुनिज शासन विभाग द्वारा रक्तीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 80,195 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का रीगांकन कराकर पक्के मुगारे लगाया जाए।
3. परियोजना प्रत्यावरक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दृष्टिं जल (यदि कोई हो), के उपचार की उपित्त एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दृष्टिं जल को किसी नदी अथवा नदी जल रबोतों में किसी भी परिस्थिति में निरसारित नहीं किया जाए। अपितु इसी प्रक्रिया में अथवा तुक्षारोपण हेतु पुनरुत्पयोग किया जाए। घरेलू दृष्टिं जल के उपचार के लिए सोप्टिक टैक एवं सोकफीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा नदी जल रबोतों में किसी भी परिस्थिति में निरसारित नहीं किया जाए। दृष्टिं जल एवं वार्मिक्टु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दृष्टिं जल की युणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्थान मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
5. खनि पद्धति धारक खान सोवालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं गृष्णि का पुनरस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह वारा, वनस्पतियों जींडी आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रत्यावरक द्वारा साथम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के नीतर प्रस्तुत किया जाए।
6. गू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय मू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
7. किसी विमनी / वेट / एइंट सोसं से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य प्रगमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्लाईट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डर्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का वेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न पर्युजिटिव डर्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच गर्म, रेम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डर्ट उत्सर्जन विन्दुओं डर्ट कंटेनर कम समेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर

इसका सातव रांचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए। विप्ल ब्रेकिंग वॉल का नियांण सुनिश्चित किया जाए।

8. वाहनों खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत नियन्त्रित मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्पन्न क्षेत्र में परिवर्तीय वायु की मूल्यवली भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय नई विल्ली द्वारा अधिनियम मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
9. लीज क्षेत्र के बारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की दौड़ी पट्टी में कोई वर्स्ट का डप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
10. उत्पन्न प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) का उपयोग उत्पन्न हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा वाहनी ओवरबर्डन को रिथर (रिटेविलाइज) करने में किया जाए। जहाँ पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) का खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉनकरेटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
11. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/विकी अयोग्य खनिज (वर्स्ट सॉक) को पृथक से पूर्ण सिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों का लिमिट प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थों आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सके। उम्मी की ऊंचाई 3 मीटर तथा रलोप 28 डिग्री से अधिक न हो। आवर्बर्डन छमा का क्षरण सेकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
12. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/विकी अयोग्य खनिज (वर्स्ट सॉक) को खनन के पश्चात वने गढ़ों में पुनर्जन्म (बैंक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न रिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हों। इन सेकने हेतु माइन फीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
14. खनिज का परिवहन गेंकनेकली कहर्ह वाहन से किया जाए ताकि खनिज वाहन से वाहन नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को धमता से अधिक नहीं मता जाना सुनिश्चित किया जाए।
15. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई विल्ली के ओएस दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
60.95	2%	1.22	Following activities at Govt Primary School Village-Suwarpura (Mangari)	

	Rain Water Harvesting System	0.80
	Potable Drinking Water Facility	0.25
	Running Water Facility for toilets	0.15
	Plantation	0.10
	Books Distribution related to Environment Conservation	0.05
	Total	1.35

16. श्री.ई.आर के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
17. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (वारों तरफ 7.5 मीटर कीड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबॉर्ड इम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 582 पौधों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ग में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मांगदारियों के अनुसार किया जाए।
18. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा काटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ग में पूर्ण किया जाए।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा घनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। घनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र घनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले अभियों को इयाप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाए एवं समय-समय पर चिकित्साकीय जीव एवं आवश्यकता अनुसार उपचार भी कराया जाए।
20. सदम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ल्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु यांत्रिक एवं सदम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा तायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अपारित ड्रिलिंग किया जाए। जिरासे डरट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
21. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल रसार के उपर असंतुष्ट प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल रसार के नींवे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
22. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गोण खनिज का उत्खनन छत्तीरागढ़ गोण खनिज नियम 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माइन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
24. कार्य रथल पर यदि केमिंग अभियंक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे अभियंक के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था

अस्थायी संरक्षणाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

25. अग्रिमों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विकित्सकीय सुविधा, गोवाइल ट्रायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
26. अग्रिमों का समय-समय पर आक्षूप्रेशनल हेल्पर सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
27. उत्खनन की तकनीक, कार्य केंद्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपांशिट समिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
28. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिमत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शनी को नहीं है एवं न भी यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिमत अधिकारों के अतिकरण अथवा केंद्र, संघ एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करना है।
29. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दुमि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विर्भिदिष्ट शर्तों के स्तोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्तराधीन / निरसान के मानकों को और सम्भा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
30. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय रामाचार पत्रों में, जो कि परियोजना केंद्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की रूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियां संविलय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्थान मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
31. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यताही की अर्द्ध वार्षिक निपोट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्थान मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्थान मण्डल, अधिकारी, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नामपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नामपुर को प्रेषित किया जाए।
32. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नामपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नामपुर को प्रेषित किया जाए।
33. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नामपुर / क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्थान मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
34. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्थान मण्डल एवं संघ सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। में शर्तों जैसे (प्रदूषण नियंत्रण वाला

(नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके लहूत क्षाये गये नियमों, परिसंकटग्रन्थ और अन्य अपशिष्ट (प्रकृति एवं सीमापार संबलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा राशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

35. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विवार कर शात्रों की उपस्थिति अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने वाले निर्णय ले सकें। लदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नायन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण वम और जलवायु परिवर्तन गंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
36. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय रवीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग कंब्र एवं कलेक्टर/पहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
37. पर्यावरणीय रवीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल यीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल यीन ट्रीब्यूनल एकट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स श्री अजय सिंह (मोखली लाईम स्टोन माइन) को खसरा क्रमांक 113 एवं 434(पार्ट), कुल लीज क्षेत्र 0.486 हेक्टेयर, ग्राम—मोखली, तहसील—डॉगरगांव, जिला—राजनांदगांव में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता—6,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज धोत्र) 0.486 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज धोत्र (दोनों में से बीं कम हो) हेतु नाम्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 6,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुँगारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं धरेल दूषित जल (यदि कोई हो) के उपचार की उपेत एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. आधारिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार जल दूषित जल की किसी नदी अथवा सातही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निरसारित नहीं किया जाए। अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनरुत्पयोग किया जाए। धरेल दूषित जल के उपचार के लिए रोप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल की जिसी नदी अथवा सातही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निरसारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाक्रह्य का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठार हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
4. अगि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन कोर तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनर्स्थापन इस स्थिति तक निया जाएगा। जिससे यह बारा, बनरपतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
5. गु-जल के उपयोग हेतु केंद्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्ण अनुमति प्राप्त की जाए।
6. किसी चिमनी / बेट / घाउट सोसी से पार्टिकुलेट बेटर उत्खनन की ऊचा 50 मिलीमीटर / रामान्य धनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। कशर, खीरी, टांसाना घाइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डर्ट एक्सट्रैक्शन सिरटम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के नियन्त्रण स्त्रोतों से उत्पन्न पर्यावरणिक डर्ट उत्खनन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पट्टुक गांव, रेम, संग्रहण होते भराउ एवं अन्य डर्ट उत्खनन किन्तुओं डर्ट कॉर्टमेन्ट कम संप्रेषण सिरटम एवं जल छिक्काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए। निष्ठ बोकिंग वील का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

7. बाह्यों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की मुण्डता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
8. लीज क्षेत्र के बारे तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का अप / मण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
9. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनरुत्थार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को टिक्कर (टेक्टिलाइज़ेशन) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉनकरेट्टी) उपयोग किया जाना समव न हो, तब इसे पृथक से मण्डारित कर विपरीत में उपयोग हेतु रखा जाए।
10. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/विकी अयोग्य खनिज (विस्ट रोक) को पृथक रो मूर्द से विनीत स्थल पर मण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के मण्डारण स्थलों को उत्तिप्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि मण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न ढाल सके। उम्मीद की ऊर्ध्वाई 3 मीटर तथा रलोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन उम्मीद का छारण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
11. जहां तक समव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/विकी अयोग्य खनिज (विस्ट रोक) को खनन के पश्चात को गडडों में पुनर्मरण (वैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा बाहित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न निचे लीज क्षेत्र के आस-पास के राताई जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसी त्रैको हेतु माहून फीट तथा उम्मीद को रिटेमेंग वॉल / मार्गलेण्ड ट्रून की व्याख्या की जाए।
13. खनिज का परिवहन गेफोकल्टी कल्डर वाहन से किया जाए, जाकि खनिज बाहुन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार शी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities at Govt Primary School Village-Mokhali	
			Solar Lighting system	0.30
			Plantation	0.10

15. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित लूहों का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए। सीईआर के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
16. उत्थनन हेतु निपिद्ध क्षेत्र (वार्षिक तरफ 7.5 मीटर लौहो क्षेत्र), होल रोड, आवश्यकता इम्य आदि में स्थानीय प्रजाति के 600 वृक्षों का सम्बन्ध वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुराग किया जाए।
17. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कट्टेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
18. खदान की रीमा (7.5 मीटर लौही) में पूर्व से उत्थनित क्षेत्र ओवरशेफ्ट री गरकर वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभिता से 6 माह के पूर्व किया जाए। निर्धारित समयावधि उका कार्य पूर्ण नहीं किए जाने की स्थिति पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जिसमें पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्तीकरण भी शामिल है।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा घनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। घनि का रत्तर उत्थनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DBA एवं रात्रि के समय 70 DBA से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र घनि वाले क्षेत्रों में कम ऊर्जे वाले विभिन्नों की ड्रूपसालग/माफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय समय पर चिकित्सकीय जीव एवं आवश्यकता अनुसार उपचार भी कराया जाए।
20. सदाग प्राधिकारी / डीजीएमएस से अनुमति उपलब्ध सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (मलाई रॉक्स) को उड़ने से सेक्टों हेतु पर्याप्त एवं साधाम व्यवस्था किया जाए। वेट इलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए। जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
21. उत्थनन प्रक्रिया गृ-जल स्तर के उपर असंतुष्ट प्रभाव में की जाएगी एवं उत्थनन प्रक्रिया गृ-जल स्तर के नीते किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
22. उत्थनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि बनस्पतियों एवं जीव-जन्मावास पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्थनन इत्तीरामढ़ गौण खनिज नियम 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्थनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
-  24. कार्य स्थल पर यदि केमिकल अमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे अमिकों के आवेदा हेतु उत्थनित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी सरकनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

25. अग्रिमों के लिए स्थान स्थल पर सबकुछ पैयजल छिकित्साकीय सुविधा, गोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
26. अग्रिमों का समय-समय पर आक्यूप्रेशनल हेल्प सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
27. उत्तराखण्ड की लकड़ीक, कार्य थेट्र एवं अनुमोदित उत्तराखण्ड योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्तराखण्ड खण्डित की मात्रा एवं अपशिष्ट समिलित है, में केसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
28. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिमत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिमत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा कोंद्र, सज्ज एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
29. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनियोगित शर्तों के सातोप्रदर रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में राशीधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्तराखण्ड / निरस्त की नानकों को और राशी करने का अधिकार सुरक्षित स्थित है।
30. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना थेट्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूक्ष्मा प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियां संप्रियालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्करण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसको जनतीकन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
31. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्करण मण्डल, अटल नगर, शेंक्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्करण मण्डल, गिलाई-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं शेंक्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेपित किया जाए।
32. शेंक्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मौनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रत्युत्त किए गए दरतावेजों एवं जारेदारों का पूर्ण सेट शेंक्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेपित किया जाए।
33. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / शेंक्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्करण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मौनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
34. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्करण मण्डल एवं सज्ज सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटग्रन्थ

आर अन्य आपरिषद (प्रबंध एवं रीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

35. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रत्युत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन ज्ञानकारी रहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपस्थुतता अथवा नवीन शर्त विनिर्दिष्ट करने वाले नियम ले सके। लदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पुर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
36. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय रवीकृति की प्रति को उनके हांगाम कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
37. पर्यावरणीय रवीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एकट 2010 की घासा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स रामनिवारा पोददार आडिनरी स्टोन माईन (पार्टनर-श्री सुदीप पोददार)
को खरारा क्रमांक 135, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर, ग्राम-सैंदा, तहसील-खडगवां,
जिला-कोरिया में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन अधिकतम धमता-20,070 टन
प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

- पठ. पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु बैध है।
- यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 20,070 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुगारे लगाया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उपेत एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
- अंतिमेंकुल प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी पकार से दूषित जल को किसी नहीं अथवा नातहीं जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। अपेक्षा इसे प्रक्रिया एवं अथवा पुकारोपण हेतु पुनरुत्थापन किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए रोटिक टेक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नहीं अथवा नातहीं जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वार्कशूट का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की मुण्डता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, संचालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्थण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
- खनि पट्टा धारक खाने संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविहितों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी शी-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं मूँगे का पुनरुत्थापन। इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह वासा, वनस्पतियों जीवों आदि के उपर्युक्त हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा साधारण प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक गाह के गीतर प्रदृश्य किया जाए।
- मूँजल के उपयोग हेतु केन्द्रीय मूँजल बोर्ड से उत्खनन आरम्भ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
- फिरी विमानी / वेट / व्हाइट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्खनन की नाता 50 मिलीयाम / सामान्य प्रग्नामीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, रक्कीन, ट्रांसाफर व्हाइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डर्ट एक्सट्रैक्शन सिरटम के साथ उच्च दक्षता का वेम फिल्टर रखापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविहितों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न पर्युगिटिक डर्ट उत्खनन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रेप, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डर्ट उत्खनन विन्दुओं डर्ट कंटेनर कम संप्रेशन सिरटम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर

इसका सतत संचालन / संचारण सुनिश्चित किया जाए। विष्ट ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

8. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनियित मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की मृणवला भारत सरकार के पर्यावरण बन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
9. लीज क्षेत्र के बारे तरफ छोटी गई 7.5 मीटर की ऊंची पट्टी में कोई बर्त का डम / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में कृषाणपाण किया जाए।
10. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉर्टल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्लैन की रियर (रेट्रिविलाइज) करने में किया जाए। जहाँ पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉर्टल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कोनकरेटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
11. ओवरबर्लैन एवं अनुपयोगी / विकी अयोग्य खनिज (बर्ट लैक) को पृथक से पूर्व से घिरी ही स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उपरिकृत प्रकार से सुरक्षित रखे जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रवाह न ढाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा रलोप 28 डिग्री से अधिक न रहे। आवरबर्लैन डम्प का दर्शन रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से तुष्टानापाण किया जाए।
12. जहाँ तक सामान हो ओवरबर्लैन एवं अनुपयोगी / विकी अयोग्य खनिज (बर्ट लैक) को खनन के पश्चात को मढ़ों में पुनर्मण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए ताकि भूमि का गूल उपयोग अथवा वाहित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न रिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन फीट तथा डम्प के रिटेनिंग वॉल / मार्लेप्ट ड्रेन की लावस्था की जाए।
14. खनिज का परिवहन गेकोकली कहड़ वाहन से किया जाए ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को शामता से अधिक नहीं जाना सुनिश्चित किया जाए।
15. मारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओप्पम दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40.20	2%	0.81	Following activities at Govt Middle School Village-Sainda	

	Rain Harvesting System	Water	1.12
	Running Water Arrangement		0.10
	Plantation		0.10
	Books Distribution related to Environment Conservation		0.05
	Total		1.37

16. श्रीड्युआर. के तहत नियंत्रित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
17. उत्खनन हेतु नियिक्ष क्षेत्र (वार्सी तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हाँल रोड, ओद्दरवर्डन इम्फ आदि में स्थानीय प्रजाति के 681 वृक्षों का सधन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। इसी पट्टी का विकास केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
18. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा काटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा घ्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। घ्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र घ्वनि वाले क्षेत्रों में काग करने वाले अग्निकों को इयरफ्लग/गाफ आदि प्रदान किए जाए एवं समय-समय पर चिकित्साकीय जींघ एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
20. साथम प्राधिकारी / डीजीएमएस. से अनुमति उपरोक्त सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (प्लाई रॉकर) को उड़ने से संकेने हेतु पर्याप्त एवं साथम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
21. उत्खनन प्रक्रिया मूँ-जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया मूँ-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
22. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माझन एवट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
24. कार्य स्थल पर यदि केमिकल अमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे अग्निकों के आवास हेतु उपयित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था

अस्थायी संरक्षणाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

25. अग्रिमों के लिए खनन स्थल पर रखच्छ पेयजल शिकित्साकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की वरस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
26. अग्रिमों का समय—समय पर आक्यूपेशनल हेल्प राइलेस कराना आवश्यक है।
27. उत्थनन की तकनीक, कार्य थोड़े एवं अनुमोदित उत्थनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्थनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट समिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन गंतालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
28. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय फिरी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अविकल्प अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
29. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनियोजित शर्तों के सतोप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी नीं शर्त में साशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्तराधि / नियराधि के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुनिश्चित रखता है।
30. परियोजना प्रस्तावक यूनिटम 2 स्थानीय रामायार पत्रों में, जो कि परियोजना थेट के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियो सविवालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
31. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अधी वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, देवीनीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अधिकारीपुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं देवीनीय कार्यालय पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन गंतालय, भारत सरकार नामपुर को प्रेषित किया जाए।
32. देवीनीय कार्यालय पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन गंतालय, भारत सरकार नामपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय—समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदनों का पूर्ण सेट देवीनीय कार्यालय पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन गंतालय, भारत सरकार नामपुर को प्रेषित किया जाए।
33. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन गंतालय, भारत सरकार / देवीनीय कार्यालय पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन गंतालय, भारत सरकार, नामपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संकेत में की जाने वाली मानिटरिंग हेतु पूर्ण राहमोग प्रदान किया जाए।
34. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं सभ्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। में शर्त बता प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा

नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके बहुत कामों गये नियमों, परिसंकटग्रन्थ और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक वागिला वीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

35. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित संषिद्ध किया जाए ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विवार कर शाती की उपयुक्तता अथवा नवीन शाते निर्दिष्ट करने वाले निषेध ले सकें। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण का और जलवायु परिवर्तन गंभीरतया भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
36. छत्तीसगढ़ पर्यावरण राज्यपाल पर्यावरणीय रवीकृति की प्रति को उनके शोब्रीय कार्यालय, जिला—व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
37. पर्यावरणीय रवीकृति के विरुद्ध अधील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।

सदस्य ~~संविधान~~ एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स श्री यशवंत कुमार राजवाडे (राजापुर ब्रिक्स अर्थ क्वारी) को खसरा क्रमांक 136, ग्राम-राजापुर, तहसील-रामानुजनगर, जिला-सूरजपुर कुल लीज क्षेत्र 1.05 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता - 1,564 घनमीटर (ईंट निर्माण इकाई क्षमता 9,77,500 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 10 वर्ष (खदान की संभावित आयु) तक की अवधि हेतु वैध है। यदि खदान खनिज विमाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लॉटर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 1.05 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता - 1,564 घनमीटर (ईंट निर्माण इकाई क्षमता 9,77,500 नग) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करकर पक्के मुगारे लगाया जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी आए दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। फिक्स विमानी से यारों तरफ उत्खनन क्षेत्र की सीमा कम से कम 15 मीटर दूर सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी आए दिनांक 24/06/2013 में मिट्टी उत्खनन हेतु नियारित गाईड-लाइन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
4. उत्खनन की अधिकतम गहराई 1.8 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के ऊपर असंतुष्ट प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
5. खदान से उत्पन्न जल एवं धरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की तर्जेत एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नहीं अथवा सातही जल रक्तों में किसी भी परिस्थिति में निरसारित नहीं किया जाए। अपेक्षा इसी प्रक्रिया में अथवा क्षारांपण हेतु पुनरुत्पयोग किया जाए। धरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैटिक टैक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नहीं अथवा सातही जल रक्तों में किसी भी परिस्थिति में निरसारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वांकड़तु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गृणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा उत्तीसमढ़ पर्यावरण संस्थान मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
6. भू-जल के उपयोग हेतु केंद्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)
7. ईंट उत्पादन हेतु फिक्सड विमानी आधारित ईंट मट्टे की स्थापना किया जाए। ईंट मट्टे की विमानी से पाइंकलेट मेटर उत्खनन की मात्रा एवं विमानी की ऊपरी भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा नियारित मानक अनुसार सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन के विभिन्न लोटों से उत्पन्न



फ्रूटिटिव डर्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुंच गांग, ऐम्प, संयुक्त थोड़ा, मराई एवं अन्य डर्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संबोलन / संधारण सुनिश्चित किया जाए।

8. ईट निर्माण में पलाई ऐश का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए।
9. बाह्यी एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत तिथित मानकों (जो नी कठोर ही) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन थोड़ा में परिवर्ती वायु की मुश्किला भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।
10. ईट निर्माण में ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न राख का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा पलाई ऐश के उपयोग हेतु जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। ईट मट्टे से उत्पन्न राख का पुनरुत्पयोग ईट निर्माण में किया जाए। ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईट के दुकड़ों आदि को गू-मरण हेतु उपयोग किया जाए।
11. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉर्डल) का उपयोग ईट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनरुत्पयोग हेतु अथवा वाही ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉर्डल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉनकरेटली) उपयोग किया जाना संगव न हो, तब इसे पुथक से मण्डारित कर मविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
12. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि मण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न ढाल सके एवं खनन के पश्चात वस्तु गड्ढों में पुर्ण गरण (विक फिलिंग) हेतु भूमि का गूल उपयोग अथवा बाहित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। मण्डारित डम्प की ऊंचाई 03 मीटर तथा रलोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण सेकने हेतु वैशानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज थोड़ा के आस-पास के रातही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु याईन पीट डम्प थोड़ा ईट मट्टा थोड़ा में स्टेबिंग वॉल / मारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
14. मिट्टी एवं ईट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुये बालन से किया जाए ताकि मिट्टी अथवा ईट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खगिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. भारत सरकार, पर्यावरण, बना और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ने दिल्ली के ओएम दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर, (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाएः—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Govt Primary School Village-Rajapur Rain Water Harvesting System	0.50
			Potable Drinking Water	0.30
			Running Water Arrangement	0.40
			Plantation	0.30
			Total	1.50

16. सीईआर, (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित समूल का नाम, पता एवं कार्यवार खबर का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

सीईआर के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अग्रिमरूप से पूर्ण किया जाए।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु नियिक क्षेत्र (वासे तक 01 मीटर तकीय वेट), हॉम रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 700 वृक्षों का सम्पन्न वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का निकास कंपीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सामंदरिकी के अनुसार किया जाए।

18. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में कम से कम 200 पौधे प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 250 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

19. उत्खनन क्षेत्र में घनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

20. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

21. निम्नलिखित उत्खनन छत्तीसगढ़ गोण संगठन नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमादित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।

22. कार्य स्थल पर यदि कंपिंग अग्रिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे अग्रिकों के आवास अवित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात छोड़ा जा सके।
23. अग्रिकों के लिए खनन स्थल पर खच्छ पेयजल विकित्साकीय सुविधा, गोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
24. अग्रिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्प सर्विलेस करना आवश्यक है।
25. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिमत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी नियमी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिमत अधिकारों के अतिकरण अथवा कंद्र सम्बन्ध एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
26. उत्थनन की उकाई, कार्य क्षेत्र एवं अनुगांधित उत्थनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्थनन समिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
27. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की स्परेश में परिवर्तन अथवा विनियोजित शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन / नियस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्थान / नियस्त के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
28. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतमा 02 स्थानीय समावार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियों समितालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacq.org पर भी किया जा सकता है।
29. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अंध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अठल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अभिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
30. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानितरिमा की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये घरतावंजों एवं आगेका का पूर्ण रोट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

31. एस.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ शोधीय कार्यालय, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नामपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मानिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
32. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियापण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण नियापण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपांशुष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व वीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनियोगित की जा सकती है।
33. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पूरा नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए ताकि एस.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने वाली नियंत्रण ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
34. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्थीकृति की प्रति को उनके शोधीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
35. पर्यावरणीय स्थीकृति के विस्तृत अपील नेशनल बीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल बीन ट्रीब्यूनल एकट 2010 की घारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

~~सदस्य सचिव, एस.आई.ए.सी.~~

अध्यक्ष, एस.आई.ए.सी.